PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

अक्टूबर-2019 | अंक-2

पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास

आरे जंगलों से पुनः गर्माती बहस

- राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : अब तक की यात्रा
- भारत का शहरी नियोजन बनाम ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, 2019
- भारत-बांग्लादेश संबंध : अच्छे पड़ोसी का आदर्श उदाहरण
- राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट : बजट 2019-20 के आलोक में
- भारत में सहकारी बैंकों का महत्व एवं चुनौतियाँ
- खुले में शौच से मुक्त भारत : एक विश्लेषण

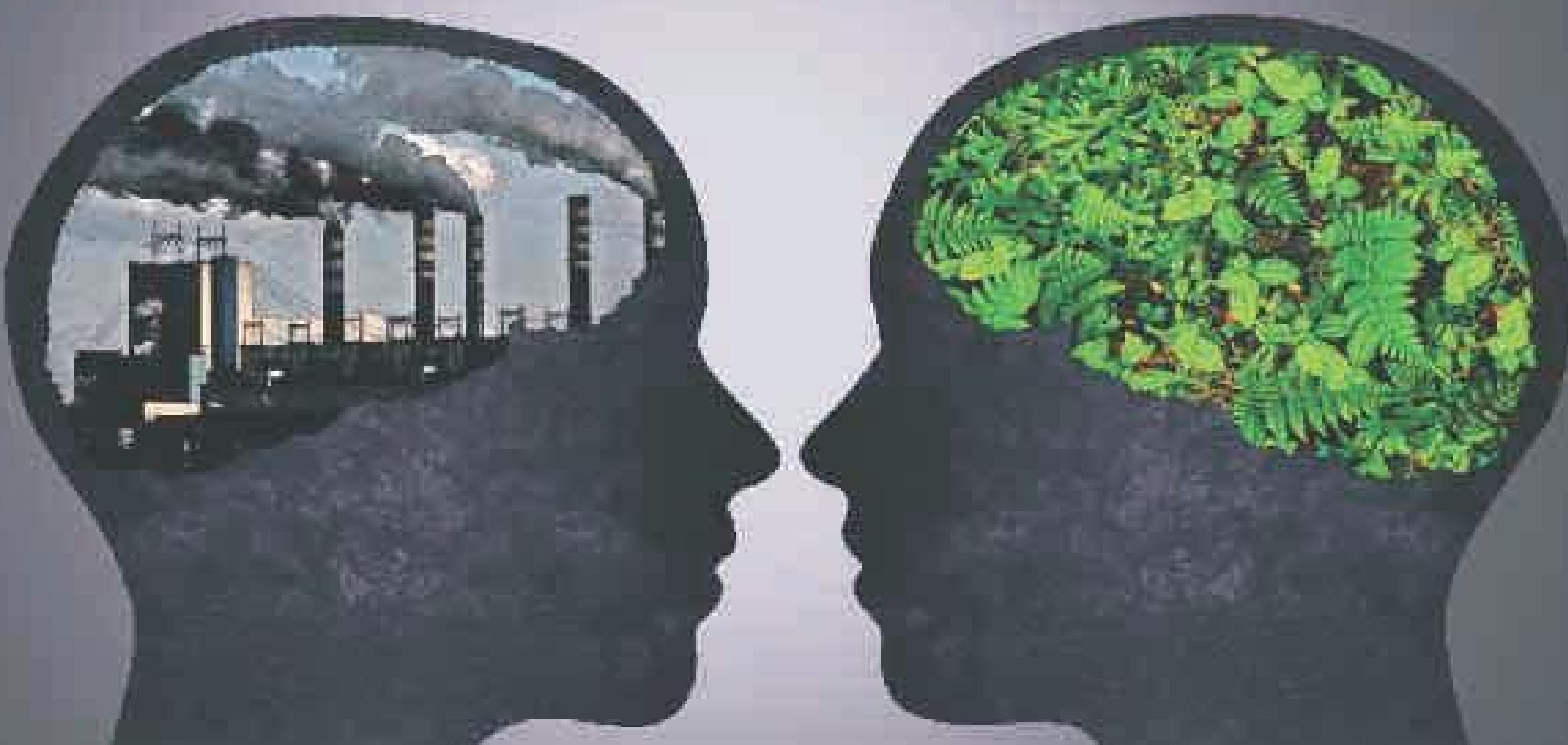

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

एक व्यापक एवं सारगर्भित अध्ययन सामग्री होती है जो कक्षा में पढ़ाये जाने वाले विषय के सम्पूरक के रूप में कार्य करती है। इसे तैयारी की शुरूआत करने वाले छात्रों से लेकर तैयारी में निपुणता हासिल कर लिये छात्रों तक, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

1/53, 1st FLOOR, OLD NO. 14, LALITA PARK, LAXMI NAGAR, DELHI-92
A-12, 13, 2nd FLOOR, 204 ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

ORDER NOW +91 9205969002

TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom
rankerssite.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7
ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)
अक्टूबर-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास : आरे जंगलों से पुनः गर्माती बहस
- राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : अब तक की यात्रा
- भारत का शहरी नियोजन बनाम ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, 2019
- भारत-बांग्लादेश संबंध : अच्छे पड़ोसी का आदर्श उदाहरण
- राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट : बजट 2019-20 के आलोक में
- भारत में सहकारी बैंकों का महत्व एवं चुनौतियाँ
- खुले में शौच से मुक्त भारत : एक विश्लेषण

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास : आरे जंगलों से पुनः गर्माती बहस

चर्चा का कारण

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 21 अक्टूबर तक मुंबई के 'आरे कॉलोनी' में अब और पेड़ नहीं काटेगी और न ही वहाँ कोई दूसरी गतिविधियाँ करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने विधि छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक वहाँ यथास्थिति बहाल रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक पर्यावरण के संबंध में गठित बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरे कॉलोनी में यथास्थिति बहाल रखी जाए।

परिचय

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आरे कॉलोनी में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई को लेकर शुरू हुआ विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से मेट्रो डिपो बनाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने संबंधित याचिकाओं के खारिज होने के कुछ ही घंटे बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों ने कटाई का काम शुरू कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। बीएमसी वहाँ 1,200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। गौरतलब है कि आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2,700 पेड़ काटने की योजना है।

मुंबई के जिस इलाके में पेड़ काटने के खिलाफ विरोध हो रहा है उसे 'आरे मिल्क कॉलोनी' के नाम से भी जाना जाता है और इस इलाके को देश की आजादी के कुछ समय बाद ही बसाया गया था। 4 मार्च 1951 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पौधारोपण करने के साथ आरे कॉलोनी की नींव रखी थी। पेड़ों से ढका यह इलाका 3166 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। धीरे-धीरे आरे में पेड़ों की संख्या बढ़ी और बाद में यह इलाका संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ गया। इसे बाद में आरे जंगल, छोटा कश्मीर, मुंबई का फेफड़ा जैसे नामों से भी पहचान मिली।

मुंबई को ऑक्सीजन देने वाले आरे पर खतरा तब मंडराना शुरु हुआ जब मुम्बई में मेट्रो ने दस्तक दी। साल 2014 में वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो की शुरूआत हुई। इसी के साथ मेट्रो का जाल बढ़ाने की बात होने लगी और मेट्रो को कार पार्किंग के लिए जगह की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए आरे में करीब 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर मेट्रो के लिए हजारों करोड़ की परियोजना शुरू करने की बात हुई। हर तरफ पेड़ों को काटे जाने का विरोध होने लगा। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में काम करने वालीं कई संस्थाओं और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई लेकिन वन विभाग की ओर से कहा गया कि आरे का इलाका कोई जंगल नहीं है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की ही योजना बनाई गई थी। इसीलिए बीएमसी ने इसी साल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 2600 पेड़ काटने की इजाजत दे दी।

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का महत्त्व

- औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू-परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो कभी-कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं।
- विशिष्ट पौधों, जानवरों, भू-भागों वाले कुछ क्षेत्र/क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिये सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि के रूप में घोषित किया है।
- उपरोक्त के अलावा, शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है।

इको-सेंसिटिव जोन क्या है

- ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के चारों ओर स्थित अधिसूचित क्षेत्र होते हैं।
- इनका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास किसी भी तरह का निर्माण गतिविधियों को विनियमित कर उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है।
- इको-सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियाँ 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव जोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है, लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास इको-सेंसिटिव जोन के लिये घोषित दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।
- कुछ गतिविधियाँ जैसे कि पेड़ गिरना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पर्यावरण और आर्थिक विकास

आर्थिक विकास एक देश के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त

मात्रा में रोजगार मुहैया करवा पाये जिससे वहाँ के निवासी गरीबी से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह का विकास आय में असमानता को कम करता है। जितना ज्यादा मात्रा में एक देश आर्थिक तरक्की करता है, उसके राजस्व कर में भी उतनी ही वृद्धि होती है और सरकार के बेराजगारी और गरीबी से जुड़ी सब्सिडी योजनाओं योजनाओं के खर्च में उतनी ही कमी आती है और सरकार अपने राजस्व को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कार्यों के लिए खर्च कर सकती है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण एक देश के आर्थिक उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र के विकास का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ा होता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जीवाश्म ईंधन, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रो में होती है। हालांकि, उत्पादन के परिणामस्वरूप पर्यावरण द्वारा प्रदूषण का भी अवशोषण होता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल के वजह से पर्यावरण में संसाधनों की कमी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

जैसा कि हम देखते हैं कि एक देश के विकास के लिए, काफी ज्यादा मात्रा में भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है जिसके चलते पेड़ों को काट दिया जाता है। इसी तरह विकास के नाम पर गैर नवीकरणीय स्रोतों, जैसे-जीवाश्म ईंधन, पानी, और खनिजों का काफी तेजी से उपयोग किया जा रहा, जिसके कारण पृथ्वी द्वारा इन्हें फिर से प्रतिस्थापित नहीं किया जा पा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और संसाधनो के रिक्तिकरण ने विश्व भर के निवासियों को प्रभावित किया है, जिससे वह इस प्रगति के लाभ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं।

हालांकि आर्थिक मामलों के विषय में समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि शहर विस्तारीकरण, फ्लाईओवर के निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए पेड़ों की कटाई कई बार आवश्यक प्रतीत होती है। उनका तर्क है कि पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों को एक खाँचे में रखना ठीक नहीं है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि विकासात्मक परियोजनाओं को पारित करने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय पहलुओं पर संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को सरकार द्वारा अपनाया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी समय समय पर पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो धारणीय विकास एक बेहतर विकल्प है, जो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है।

पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता

शहरी नियोजन में योजना बनाते समय यदि पर्यावरणीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए तो विकास के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी भवन के निर्माण में या सड़क विस्तारीकरण में कोई वृक्ष बीच में आ रहा है तो वृक्ष को काटने की बजाय हमें योजना में परिवर्तन की संभावना पर विचार करना चाहिये। शहर बसाने या यातायात के सम्बन्ध में योजना बनाते समय वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर गौर किया जाना चाहिए। दोनों के बीच सामंजस्य हर हाल में कायम रखना चाहिए। चूँकि भारत में प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा चुका है जो शहरों के विकास की पूरी योजना पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। शहर में जल के परंपरागत स्रोत, जैसे- नदी, झील का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल किसी और कार्य के लिए नहीं हो।

पर्यावरण का महत्त्व

मानव का अस्तित्व वनस्पति और जीव जंतु के अस्तित्व पर निर्भर है। हमारे आसपास वृक्ष, जलवायु एवं विभिन्न प्राकृतिक कारकों को हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है। अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जन्तु, पेड़ पौधे तथा अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएँ पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। आज पर्यावरण से सम्बद्ध उपलब्ध ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि समस्या को जनमानस सहज रूप से समझ सके। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज को उसके कर्त्तव्य तथा दायित्व का एहसास होना आवश्यक है। इस प्रकार समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है।

आर्थिक पर्यावरण

पर्यावरण को सामान्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा कृत्रिम एवं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में जल, वनस्पति, पशुधन, खनिज सम्पदा आदि शामिल हैं।

प्राकृतिक वातावरण का हमारे सामाजिक व आर्थिक जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कृत्रिम एवं सामाजिक वातावरण का निर्माण हमारे सुखी एवं समृद्ध जीवन से है। इसलिए आर्थिक पर्यावरण में अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक नियम, मान्यताएँ, आर्थिक विकास की दिशा आदि शामिल हैं। आर्थिक पर्यावरण मानव की आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित है। इसमें मानव द्वारा धनोपार्जन एवं उसे कुशलतापूर्वक व्यय करने से सम्बन्धित सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, सरकारी आय-व्यय एवं अन्य सभी वैधानिक आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। आर्थिक पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। आर्थिक पर्यावरण देश की आन्तरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित रहता है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। आर्थिक पर्यावरण रोजगार मूलक है और देश की प्रगति को संचालित करने में भी सहायक होता है। यदि आर्थिक पर्यावरण प्रतिकूल हो तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, जन असंतोष का सामना करना पड़ता है जो किसी भी देश के विकास को अवरूद्ध करता है। यदि देश का आर्थिक पर्यावरण सही और संतुलित होगा तो देश प्रगति एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। लोक कल्याणकारी योजनाएं भी सही दिशा में संचालित होंगी। मानव का सुखमय जीवन भी आर्थिक पर्यावरण के संतुलित विकास पर निर्भर करता है। अत: यह कहा जा सकता है कि आर्थिक पर्यावरण की अनुकूलता देश के विकास को आगे ले जाने में सहायक का कार्य करती है।

चुनौतियाँ

प्राकृतिक संसाधनो के लगातार हो रहे उपभोग तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पर्यावरण संसाधनों की गुणवत्ता खराब हो जायेगी, जिससे ना सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। बल्कि इसके उत्पादन में लगे मजदूरों में भी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होंगी और इसके साथ यह उनके लिए भी काफी हानिकारक सिद्ध होगा, जिनके लिए यह बनाया जा रहा है।

भारत के विभिन्न शहरों में जहाँ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सतत् रूप से बढ़ रही है, ऐसे में विकासात्मक क्रियाकलाप के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई विरोधाभासी कदम ही प्रतीत होता है। समुचित विकास के लिये पेड़ एक प्राथमिक घटक है। पेड़ वह कड़ी है जो भौतिक दुनिया और प्राकृतिक दुनिया को जोड़ने का कार्य करता

है। यह कार्बन प्रच्छादन, सौर ऊर्जा का उत्पादन, भौतिक जगत के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता के लिये भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

विकास कार्य के दौरान बीच में आने वाले पेड़ों या अन्य पारिस्थितिकी घटकों को दरकिनार कर दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्य के दौरान यह स्थिति अधिक देखने को मिलती है। इस परिस्थिति पर नजर डालें तो इसके पीछे निम्न कारण दिखाई देते हैं-

- पर्यावरणीय लागत की तुलना में मौद्रिक लागत को अधिक महत्त्व देना अर्थात हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को कम महत्व (weightage) देते हैं।
- कई बार देखा गया है कि पर्यावरण के मुद्दे पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों में सह-संयोजन का अभाव होता है।
- सामान्यत: सरकारों का प्रयास होता है कि पर्यावरण का संरक्षण हर हाल में किया जाए मगर जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिखाई देता है।

आगे की राह

जब अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि की क्षमता विकसित होती है तो कई नई चुनौतियाँ भी आती हैं। हमें आर्थिक वृद्धि तथा सतत विकास के नजरिये से यह निर्णय करना है कि दुर्लभतम संसाधनों का कैसे अनुकूलतम उपयोग होगा। कई ऐसे प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि ऐसी नीतियों की वजह से कुल मिलाकर मानव कल्याण घट भी सकता है। आर्थिक वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर आधारित होनी चाहिए और साथ ही विकास को पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित रखा जाना चाहिए। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख के बिना गरीबी उन्मूलन और एक स्थायी समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। पर्यावरण और आर्थिक वृद्धि में परस्पर संबंध है। पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक विकास आपस में इस तरह से सम्बद्ध हैं कि उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

औद्योगिक उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे पदार्थों जैसे कि जल, इमारती लकड़ी और खनिजों का प्रयोग किया जाता है और इसी के चलते औद्योगिक वृद्धि पर्यावरण के नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के एजेंडे की स्थिरता के लिए अच्छा संतुलन कायम करना बहुत जरूरी है। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास के लिए सभी आयामों का संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना होगा। विकास तभी टिकाऊ रह सकता है, जब वह प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करता हो।

निष्कर्षत: मानव के लिए पर्यावरण का अनुकूल और संतुलित होना बहुत जरूरी है। यदि हमने पर्यावरण संरक्षण पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाला मानव जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इससे बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता है। यदि हम सतत् एवं समावेशी विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ें तो मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित कर सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : अब तक की यात्रा

चर्चा का कारण

हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) की अंतिम सूची जारी की गई। इस सूची में लगभग 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। विदित हो कि 31 जुलाई 2018 को जारी किए गए एनआरसी के ड्राफ्ट में 40.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद 26 जून 2019 को एक अतिरिक्त ड्रॉफ्ट सूची आई जिसमें करीब एक लाख और लोगों के नाम सूची से बाहर निकाले गए थे।

परिचय

नागरिकता अधिनियम, 1955 (The Citizenship Act, 1955) में इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है। एनआरसी को 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें असम राज्य के प्रत्येक गांव में रहने वाले लोगों के नाम और संख्या दर्ज किये गए। फिलहाल इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें उन लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है, जो लोग असम में बांग्लादेश बनने के पहले (25 मार्च 1971 के पहले) आये हैं।

गौरतलब है कि एनआरसी की प्रक्रिया की निगरानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान करना है। हालाँकि एनआरसी में जिन व्यक्तियों के नाम नहीं हैं, या परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे विदेशी न्यायाधिकरण (Foreign Tribunal) के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

असम में आजादी के बाद 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार किया गया था। इसमें तब के असम के रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में चाय बागानों में काम करने और खाली पड़ी जमीन पर खेती करने के लिए बिहार और बंगाल के लोग असम जाते रहते थे, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध बाहरी लोगों से रहता था। पूर्वी पाकिस्तान और बाद के बांग्लादेश से असम में लोगों के अवैध तरीके से आने का यह सिलसिला जारी रहा। हालात तब ज्यादा खराब हुए जब तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थितियाँ इतनी हिंसक हो गईं थीं कि वहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तबकों की एक बड़ी आबादी ने भारत का रुख किया। माना जाता है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी कार्रवाई शुरू की तो करीब 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश की सीमा पारकर असम में शरण ली। हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि शरणार्थी चाहे किसी भी धर्म के हों उन्हें वापस जाना होगा।

विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण

विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) अधिनियम आदेश, 1964 को जारी किया गया था। यह पूरे देश में लागू है। विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में 2013 में प्रमुख संशोधन किए गए थे। मई 2019 में नवीनतम संशोधन जारी किया गया था। ये सभी आदेश पूरे देश में लागू हैं और किसी विशेष राज्य के लिए नहीं हैं। इसलिए मई 2019 के नवीनतम संशोधन में इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है।

मई 2019 में किए गए संशोधन में केवल एनआरसी के विरूद्ध दाखिल किए गए दावों एवं आपत्तियों के परिणाम से असंतुष्ट व्यक्तियों के अपीलों पर निर्णय को लेकर न्यायाधिकरणों के लिए तरीके निर्धारित किए गए हैं।

क्योंकि केवल असम में ही एनआरसी का काम चल रहा है, इसलिए 30 मई, 2019 को जारी किया गया उपर्युक्त आदेश सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए फिलहाल केवल असम के लिए ही लागू है।

इस संशोधन आदेश में न्यायाधिकरण में जिला दंडाधिकारी द्वारा संदर्भ प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल है कि क्या कोई अपीलकर्ता विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के दायरे में एक 'विदेशी' है अथवा नहीं।

असम समझौता

उल्लेखनीय है कि जनसंख्या में होने वाले इस बदलाव ने मूलवासियों में भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। तब असम में दो संगठनों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद् ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो असम की सीमाओं को सील करे, बाहरी लोगों की पहचान करे और उनका नाम वोटर सूची से हटाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, असम में कोई चुनाव न करवाया जाए। इसके अलावा आंदोलन करने वालों ने ये भी मांग रखी कि 1961 के बाद राज्य में जो भी लोग आए हैं, उन्हें उनके मूल राज्य में वापस भेज दिया जाए। इसके पश्चात 15 अगस्त 1985 को केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1951 से 1961 के बीच आये सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया गया। इसमें तय किया कि जो लोग 1971 के बाद असम में आये थे, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा जबकि 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें नागरिकता के अन्य सभी अधिकार दिए गए थे। 1985 में असम में राजीव गांधी के साथ जो समझौता लागू हुआ था, उसकी समीक्षा का काम 1999 में केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार ने शुरू किया। 17 नवंबर 1999 को केंद्र सरकार ने तय किया कि असम समझौते के तहत एनआरसी को अपडेट करना चाहिए। इसके बाद 5 मई 2005 को यूपीए सरकार ने फैसला लिया कि एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए। इसके बाद भी इस पर कार्य नहीं किया गया तब असम पब्लिक वर्क नाम के एक एनजीओ सहित कई अन्य संगठनों ने 2013 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में यह काम शुरू हुआ और 2018 जुलाई ड्रॉफ्ट पेश किया गया जिसमें 40.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिया गया था, किन्तु हाल ही में जारी अंतिम सूची में यह आंकड़ा कम होकर 19 लाख तक पहुँच गया है।

एनआरसी की जारी अंतिम सूची से उभरने वाले मुद्दे

एनआरसी से घुसपैठ की समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई है। असम के लोग भ्रमित है कि उनका भविष्य क्या होगा? एनआरसी की जारी अंतिम सूची से कुछ प्रमुख मुद्दें उभरे हैं जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- एनआरसी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उन 19 लाख लोगों से जुड़ा है, जिनके नाम अंतिम सूची में नहीं हैं।
- एनआरसी में नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों के पारदर्शी तरीके से विश्लेषण पर जोर दिया गया है, किन्तु दिलचस्प बात यह है कि जिस एनआरसी से घुसपैठ विवाद के खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, उससे राज्य में नई तनातनी की शुरूआत हो सकती है।
- इस प्रक्रिया से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी है कि एनआरसी से किसे फायदा हुआ? स्थानीय लोगों को या अवैध अप्रवासियों को? इसका राज्य में रहने वालों की जिंदगी पर क्या असर होगा? जिन लोगों को एनआरसी में जगह नहीं मिली है, अगर वे अवैध अप्रवासी भी हैं तो उनके यहाँ आने की मजबूरियां रही होंगी। सवाल यह है कि आज के हालात को देखकर यह नहीं लगता कि इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजना मुमकिन है।
- सरकार भी एनआरसी सूची से बाहर रखे गए सभी लोगों को अवैध प्रवासी नहीं बल्कि शरणार्थी मानती है। मिसाल के लिए इनमें बंगाली हिन्दू भी शामिल हैं, जो जान-माल के डर से बांग्लादेश से असम आए थे। ऐसे में इन परिवारों का क्या होगा? इसका कोई ठोस उत्तर प्रशासन के पास नहीं है।
- इसके अलावा, एनआरसी की अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में महिलाओं की बड़ी संख्या है, जो शादी करके राज्य में आईं थी।
- एनआरसी की कई खामियाँ भी सामने आई हैं और इससे एक हद तक असम के लोगों का राज्य सरकार की मशीनरी पर भरोसा घटा है।
- एनआरसी में हो रही धांधलियों के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्त्ता सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि एनआरसी की जारी अंतिम सूची गड़बड़ियों से मुक्त नहीं है।
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के लिए गठित विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये कुछ फैसलों पर हैरानी जतायी है। उच्च न्यायालय ने मोरीगाँव न्यायाधिकरण के 57 मामलों को खारिज कर दिया क्योंकि न्यायालय ने इसमें तकनीकी खामियाँ पायीं थी। न्यायालय के समक्ष अनेक ऐसे मामले भी प्रकाश में आये जो हैरान कर देने वाले थे। जैसे- एक मामले में 17 लोगों को न्यायाधिकरण ने अपनी सूची में भारतीय नागरिक तो माना था, किन्तु घोषित आदेश में उन्हें वैध नागरिक नहीं माना।
- ऐसे 11 मामले ही पाये गये जिनके निर्णय न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णित रिपोर्टों की सूची में अंकित नहीं थे। 5 मामले ऐसे थे जिनमें एक ही तरह के मामलों में न्यायाधिकरण द्वारा दो अलग-अलग निर्णय दिये गये।
- मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि जहाँ जीवन और मरण का सवाल हो और जहाँ पर एक छोटी सी गलती (जैसे-डाक्यूमेंट में हुई स्पेलिंग की गलती, दो पहचान पत्र में अलग-अलग उम्र इत्यादि) की वजह से किसी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, वहाँ ये बात मायने रखती है कि मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार सुरक्षित हो।
- गौरतलब है कि अभी तक यह स्थिति भी साफ नहीं हुई है कि अवैध अप्रवासी के रूप में पहचाने जाने वालों का क्या होगा, हालाँकि राजनयिक, मानवीय और सामाजिक नतीजों को देखते हुए निर्वासन एक अप्रत्याशित विकल्प लगता है, साथ ही सबसे बड़ी जटिलता यह भी है कि कैसे परिवारों के भीतर कुछ लोगों के सूची में नाम हैं जबकि बहुत से लोगों के नाम नहीं हैं क्या ऐसी स्थिति में एक परिवार के कुछ सदस्यों को विदेशी और अन्य को वास्तविक भारतीय नागरिक घोषित करना सही होगा।

- बांग्लादेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसके पास संसाधनों की कमी है, ऐसे में वह इतनी बड़ी जनसंख्या को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उसने कहा है कि ये जनसंख्या उसके देश से आये लोगों की है।
- मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर ये लोग बांग्लादेश नहीं जाएंगे तो क्या इन्हें हिरासत केंद्रों (Detention Centre) में रखा जाएगा? और अगर रखा जाएगा तो कब तक रखा जाएगा? इसके अलावा सवाल यह है कि हिरासतकेन्द्रों में जिन लोगों को रखा जायेगा उनके बच्चों का क्या होगा? इस बारे में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एनआरसी और राजनीति

एनआरसी को लेकर केंद्रीय नेताओं के लगातार बयानों से प्रभावित हो कर अब कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में एनआरसी लागू करने की बात कहने लगे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार असम के बाद दूसरे राज्यों में एनआरसी लागू करने की बात कहने के अलावा नागरिकता (संशोधन) विधेयक भी पास कराने की कोशिश में लगी है। ये एक नया कानून है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता लेने में मददगार होगा। ये प्रस्तावित कानून अभी संसद से पास नहीं हुआ है। फिर भी बहुत से लोग इसे विभाजनकारी कह रहे हैं क्योंकि इस कानून में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाईयों को तो भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वो उचित दस्तावेजों के साथ भारत आए हों, या फिर जो लंबे समय से बिना दस्तावेजी सबूत के भारत में रह रहे हों। लेकिन, इस कानून में मुसलमान अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इससे मुसलमानों को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि इसके माध्यम से उन्हीं अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जो पड़ोसी देशों में जुल्म के शिकार हुए हैं। हालाँकि यह तर्क ठोस प्रतीत नहीं होता।

बांग्लादेश की आशंका

दक्षिण एशिया में भारत का सबसे विश्वस्त सहयोगी बांग्लादेश असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद से उनके संभावित प्रवाह को लेकर आशंकित है। बांग्लादेश के ऊपर पहले से ही दस लाख रोहिंग्या का भार है, ऐसे में वह और लोगों का भार नहीं झेल सकता। बांग्लादेश ने चीन के नाराज होने का खतरा उठाते हुए भी कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर भारत का समर्थन किया है और कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है, तो वह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन करेगा। इसलिए भारत सरकार की यह बड़ी चुनौती है कि एनआरसी का बांग्लादेश के साथ संबंधों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

लोगों के पास विकल्प क्या है

जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार द्वारा एक समुचित व्यवस्था बनाई गई है जिसके तहत ऐसे लोगों के पास निम्न विकल्प मौजूद होंगें-

- केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि एनआरसी में जगह नहीं पाने का मतलब यह नहीं कि ऐसे लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण (Foreign Tribunal) के समक्ष अपील करनी होगी। इसके लिए असम में बड़ी संख्या में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है।
- गौरतलब है कि विदेशी न्यायाधिकरण अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ होती हैं। इन्हें नागरिकता से जुड़े मसलों की सुनवाई का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह यहाँ अपील कर सकता है, लेकिन नागरिकता को लेकर इस न्यायाधिकरण का आदेश मान्य होगा।
- सरकार ने अपील की समय सीमा 120 दिन कर दी है। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। सरकार द्वारा निर्धारित नई समय सीमा के मुताबिक, लोग इस साल 31 दिसंबर तक अपील दाखिल कर सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में भी अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहता है तो भी उसके लिए कानून के दरवाजे खुले रहेंगे। उसके पास पहले हाईकोर्ट जाने का विकल्प होगा। यदि हाईकोर्ट से भी उसे मायूसी मिलती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहेगा।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने से पहले उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा। असम सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने की बात भी की है जो गरीब हैं और कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में समर्थ नहीं हैं।

आगे की राह

आज विश्व के समक्ष शरणार्थी समस्या एक विकट समस्या बन गयी है। दुनिया में करीब एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी राज्यविहिनता (Statelessness) को खत्म करना चाहती है। ऐसे में भारत के लिये हालिया स्थिति असहज करने वाली है।

इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा अवैध अप्रवासियों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निर्वासन नहीं हो सकता और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों (भारत-बांग्लादेश) के मध्य एक विधिवत समझौता हो। किसी समझौते की अनुपस्थिति में निर्वासन नहीं किया जा सकता अर्थात इसके लिए सरकार को बांग्लादेश सरकार से कोई ऐसा समझौता करना चाहिए जो इस समस्या का उचित हल निकाल सके। चूंकि अवैध अप्रवासियों का निर्वासन एक जटिल मुद्दा है इसलिए कुछ विशेषज्ञों द्वारा एक रास्ता यह भी सुझाया जाता है कि इन अवैध अप्रवासियों को सभी नागरिकता अधिकारों से वंचित करते हुए मानवतावादी विकल्प के आधार पर देश में ही रहने दिया जाए।

चूंकि आज की दुनिया में निर्वासन एक तरफा मामला नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ता है। निष्कर्षत: जिन व्यक्तियों की नागरिकता बांग्लादेश के द्वारा सिद्ध की जा सकती है उनको वापस भेजा जा सकता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक कम है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी यह बात कि भारत बांग्लादेश सरकार के साथ निर्वासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक चर्चाएं प्रारंभ करे, एक सार्थक पहल साबित हो सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत का शहरी नियोजन बनाम ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, 2019

चर्चा का कारण

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) ने लिवेबिलिटी सूचकांक (Liveability index) जारी किया, जिसमें भारत के दो सबसे बड़े शहर मुंबई और दिल्ली कुछ पायदान फिसल गए। गौरतलब है कि यह एक ग्लोबल सूचकांक है, जिसमें जीवनस्तर के आधार पर दुनिया के 140 शहरों की रैंकिंग की जाती है। इस साल की रैंकिंग में देश की राजधानी दिल्ली 6 पायदान गिरकर 118वें और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दो पायदान फिसलकर दिल्ली के बाद 119वें नंबर आ गयी। गौरतलब है कि 140 देशों की इस सूची में ऑस्ट्रिया का वियना शहर पहले स्थान पर है। शीर्ष 10 शहरों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तीन-तीन शहर शामिल हैं। सूची के आखिरी दस शहरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका नीचे से तीसरे यानी 138वें और पाकिस्तान का कराची 136वें नंबर पर है एवं 140वें स्थान पर सीरिया का दमास्कस शहर है।

परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की करीब 37.7 करोड़ आबादी शहरों में रहती है। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 59 करोड़ तक पहुंच जाएगी। शहरीकरण की इस तेज रफ्तार के कारण ही भारत सरकार 'स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट के तहत भारत के करीब 100 शहरों को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। इसके लिए करीब 7,060 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। सामान्य तौर से शहरीकरण शहरों और गाँवों के उस वृद्धि को दिखाता है, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के ओर अच्छे जीवन के तलाश में जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में विश्व भर में शहरी जनसंख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए शहरीकरण को में लोगों की प्रगतिशील वृद्धि के रुप में भी देखा जा सकता है। शहरीकरण आज विश्व भर में आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है क्योंकि शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि दोनों एकदूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया कुछ औद्योगिक शहरी केंद्रों के क्रमिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की बची हुई आबादी के स्थानांतरण पर निर्भर करती है।

ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक एवं उसके पैमाने

ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक से पता चलता है कि दुनिया के कौन से शहर रहने के लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे। इसमें हर शहर की रैंकिंग पांच बुनियादी वर्गों में 30 गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) घटकों के आधार पर तय होती है, अर्थात इसके आधार पर उन शहरों के तुलनात्मक आधार पर बेहतर होने का पता लगाया जाता है। इन पांच बुनियादी वर्गों में स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। इसमें स्थिरता और संस्कृति व पर्यावरण में से हरेक को 25 प्रतिशत का भारांक दिया जाता है, जबकि स्वास्थ्य और इंफ्रॉस्ट्रक्चर में से हरेक को 20 प्रतिशत का भारांकमिलता है। बाकी का 10 प्रतिशत भारांकशिक्षा को मिलता है। रैंकिंग करते वक्त हर घटक के आधार पर शहर को स्वीकार्य, बर्दाश्त करने लायक, असहज, अवांछित या असहनीय जैसे वर्गों में बांटा जाता है। इसके बाद इस आधार पर मिले नंबरों को मिलाकर उन्हें एक से 100 के बीच अंक दिए जाते हैं। इसमें एक नंबर मिलने का मतलब असहनीय और 100 नंबर मिलने का मतलब आदर्श है। सूचकांक में हर शहर को अंक देने के लिए न्यूयॉर्क को आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से लिवेबिलिटी सूचकांक तैयार किया जाता है।

भारत के बड़े शहरों की स्थिति एवं उनका विश्लेषण

ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में दिल्ली और मुंबई, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के शहरों के साथ निचले 25 प्रतिशत शहरों में शामिल हैं। इससे पता चलता है कि देश के इन दो सबसे बड़े शहरों को वहाँ रहने वालों को बेहतर जीवनस्तर मुहैया कराने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारे दो सबसे वाइब्रेंट ग्लोबल शहरों की यह हालत है तो देश के दूसरे शहरी क्षेत्रों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में आज जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस क्षेत्र में देश की चुनौती का पता चलता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में खराब रैंकिंग से कई सवाल भी खड़े होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 2030 तक देश की 1.5 अरब आबादी में से लगभग आधे लोगों के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। अगर शहरी योजना (Urban Planning) को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इनमें से ज्यादातर लोग झुग्गी-बस्तियों जैसे हालात में रहने को मजबूर होंगे।

गौरतलब है कि शहरों को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। मगर यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमारे यहाँ के शहर देश को 21वीं सदी में तरक्की की राह पर ले जाएंगे या वे उसमें बाधा खड़ी करेंगे? क्या इन सवालों से सरकार की चिंता बढ़नी चाहिए? इस मामले में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। खासतौर पर यह देखते हुए कि इस सूचकांक में जिस मुंबई शहर को 119वीं रैंकिंग मिली है, उसे देश का शहरी विकास मंत्रालय 'ईज ऑफ लिविंग' के आधार पर बेहतरीन तीन शहरों में से एक मानता है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में शहरी विकास मंत्रालय ने देश का पहला ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया था, जिसमें 111 शहरों की रैंकिंग की गई थी। इकोनॉमिस्ट इंटलिजेंस यूनिट में जहां कई गुणात्मक और मात्रात्मक पैमानों पर शहरों की रैंकिंग तय की जाती है, वहीं ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में उनका प्रदर्शन 78 फिजिकल, सांस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर परखा जाता है। ये पैमाने सुशासन, पहचान व संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, किफायती आवास, लैंड यूज प्लानिंग, लोगों के लिए खुली जगह, यातायात और गतिशीलता, पानी की आपूर्ति, दूषित जलप्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली और पर्यावरण आदि से जुड़े हैं। मुंबई के 2.3 करोड़ लोगों के रोजमर्रा का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में इसे देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल करना अनेक प्रश्न खड़ा करता है। शायद, सरकार ने सुरक्षा और लगातार बिजली आपूर्ति (देश में बहुत कम ऐसे शहर हैं, जहां नियमित बिजली मिलती है) जैसे मानकों के आधार पर मुंबई को इतनी ऊंची रैंकिंग दी है। इसके उलट, दिल्ली में लोगों की आवाजाही के लिए बेहतर परिवहन प्रणाली है, जिसकी सराहना भी होती आयी है। इसके बावजूद, शहरी विकास मंत्रालय की रैंकिंग में यह 65वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई (14),

अहमदाबाद (23) और हैदराबाद (27) उससे काफी ऊपर हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में दिल्ली और मुंबई की खराब रैंकिंग को देखते हुए ईज ऑफ लिविंग सूचकांक तैयार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने जो तरीका अपनाया है, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ऐसे सूचकांकों को तैयार करने के लिए अपनाए गए तरीके की बात रहने भी दें तो यह भी सच है कि देश में शहरों के प्रशासन में कई बुनियादी गड़बड़ियां हैं। हालात इतने बुरे हैं कि ऊपर जिन मानकों का जिक्र किया गया है, उसमें देश का कोई भी शहर ग्लोबल बेंचमार्क के करीब नहीं पहुंच पाया है।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन से सबक लेने की जरुरत

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (JNNURM) के तहत इंफ्रॉस्ट्रक्चर और नागरिक सेवाओं में स्थानीय निकायों के सुधार के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी इंफ्रॉस्ट्रक्चर में सुधार के लिए 662.53 अरब रुपये देने का वादा किया था जिसके मुख्य लक्ष्य थे-

शहर के पुराने इलाकों के विकास (सड़कों को चौड़ा करने सहित), कंजेशन यानी भीड़-भाड़ कम करने के लिए शहर के नॉन-कॉन्फॉर्मिंग यानी अंदरूनी इलाकों से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को कॉन्फॉर्मिंग यानी बाहरी इलाकों में शिफ्ट करना साथ ही पुरानी पाइपों की जगह नए और अधिक क्षमता के पाइप लगाने, सीवरेज और ड्रेनेज रिन्युअल पानी की आपूर्ति और सैनिटेशन, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेन और स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन (जल निकासी) में सुधार, रोड, हाइवे, एक्सप्रेस वे, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और मेट्रो प्रोजेक्ट की मदद से यातायात सुविधाओं में सुधार, पार्किंग की व्यवस्था, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, मिट्टी के कटाव को रोकना और उसे पहले जैसा बनाए रखना, भू-स्खलन को रोकना, जलाशयों के संरक्षण जैसी शर्तें तय की गई थीं।

जब मार्च 2012 में JNNURM का सात साल का पहला फेज खत्म हुआ, तब तक इसके लिए 71 योग्य शहरों में सिर्फ 20 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स ही पूरे हुए थे। इस फेज के आखिर में योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति ने JNNURM की असफलता के लिए दशकों पुरानी कमजोरियों का जिक्र किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शहर के स्तर पर लंबी अवधि की योजना नहीं बनाई गई, निकायों के पास ऐसे काम करने की क्षमता का अभाव है, योजनाओं पर बेतरतीब ढंग से काम हुआ और स्थानीय निकाय जरूरी सुधार को लागू नहीं कर सके। संभवतः इन्हीं वजहों से यूपीए सरकार की फ्लैगशिप योजना नाकाम हो गई। रिपोर्ट में खराब क्रियान्वयन योजना के अभाव को JNNURM के पहले फेज के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह माना गया था। इसमें लिखा था कि इस कारण से किसी भी शहर का संपूर्ण विकास नहीं किया जा सका। इसमें यह भी कहा गया था कि इन योजनाओं का लोगों से जुड़ाव नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि शहरी विकास के लिए पूरे देश पर एक तरीका थोपना ठीक नहीं है और इससे परियोजनाओं को पूरा करने और उनसे जुड़े सुधारों को मूर्त रूप देने में दिक्कत हुई। JNNURM फेज 1 की इतनी तल्ख आलोचना के बावजूद समिति ने इसके दूसरे फेज के लिए 10 साल की अवधि तय करने का सुझाव दिया। 2012 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) ने भी JNNURM के पहले फेज की नाकामी पर मुहर लगाई थी। उसने इसके तहत दिए गए फंड का पूरा इस्तेमाल न करने, 1.15 अरब रुपये का अयोग्य लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल (इनमें नगर निगम के कर्मचारियों को दी जाने वाली पगार भी शामिल थी), सुधार नहीं करने और परियोजना पर सिर्फ 8.9 प्रतिशत काम होने का जिक्र किया था। JNNURM के तहत सुधार एजेंडा को कमजोर किए जाने से उस लाल फीताशाही सोच को मजबूती मिली, जो यथास्थिति से खुश थी। साथ ही, JNNURM के तहत मिले फंड का चुनावी, राजनीतिक और अन्य निहित स्वार्थों के लिए भी इस्तेमाल हुआ।

जब तक सरकार शहरी विकास को उस गंभीरता से नहीं लेता, जिसकी जरूरत है, तब तक स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी के लिए 'हृदय', 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल और 'अमृत' जैसी योजनाओं का भी हाल JNNURM जैसा हो सकता है। गौरतलब है कि इन योजनाओं का स्केल बड़ा और लक्ष्य ऊंचे रखे गए हैं। लेकिन ये असल में नई बोतल में पुरानी शराब जैसा मामला है। सरकार के फरवरी 2018 तक के आँकड़े के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पहले ही 99.4 अरब रुपये जारी कर चुका है। 31 मार्च 2020 तक के पाँच साल के लिए 'अमृत' योजना के लिए 500 अरब का फंड दिया जाना है। 'हृदय' के लिए 5 अरब रुपये रखे गए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो सिर्फ वित्त वर्ष 2019-20 में ही 27.5 अरब रुपये खर्च किए जाने हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2019 में सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि स्मार्ट सिटी योजना पर सिर्फ 35.6 अरब रुपये खर्च हुए हैं जो इसके लिए आवंटित कुल बजट का सिर्फ 21 प्रतिशत है। हालांकि, शहरी प्रशासन और योजना अभी भी पुराने मर्ज से घिरे हुए हैं। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की क्षमता भी नहीं है। साथ ही उनका सशक्तिकरण नहीं किया गया है और न ही उन्हें जवाबदेह बनाया जा रहा है। अगर युद्ध स्तर पर व्यापक सुधार नहीं किए गए तो इन योजनाओं का भी फेल होना तय है। अगर शहरी जीवन से जुड़े सभी पहलुओं में व्यापक बदलाव की पहल नहीं हुई तो EIU में दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग के और गिरने से हैरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ, किसी भी शहर में ईज ऑफ लिविंग में सुधार करने किये बिना शहरी विकास मंत्रालय की रैंकिंग का कोई मतलब नहीं होगा।

सरकारी प्रयास

भारत के अधिकांश शहरों की सही प्रकार से मैपिंग तक उपलब्ध नहीं है, बावजूद इसके इनके कायाकल्प करने में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने 100 शहरों के विकास पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करने की योजना बनायी है। सरकार के प्रयासों के बाद कुछ शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, बंगलुरु आदि में बुनियादी सुधार देखे गए और ये शहर पानी, सीवरेज और सफाई के लिए देश में अव्वल रहे। नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का इस प्रकार विकास कर रही है, कि व्यापक विकास के चार स्तंभो-संस्थागत, भौतिक, सामाजिक, और आर्थिक अवसंरचना में सुधार दिखाई देने लगा है। सरकार के प्रयास से शहर 'स्मार्टनेस' की परते जोड़ते हुए संवर्द्धित रूप से ऐसी व्यापक अवसंरचना तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

आगे की राह

यह सूचकांक हमारी विकास प्रक्रिया पर एक बड़े प्रश्नचिह्न जैसा है। आधुनिक युग में विकास की एक बड़ी कसौटी शहर भी हैं। रहने लायक शहर एक देश की आर्थिक हैसियत के साथ-साथ सक्षम शासन तंत्र और उन्नत नागरिक समाज के प्रतीक भी होते हैं। अच्छे शहरीकरण के लिए यह जरूरी है कि वह योजनाबद्ध हों। उसमें नागरिकों को कामकाज की सुविधा और जीवन की तमाम

सहूलियतें मिलें, जैसे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। आज के दौर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर का प्रदूषण मुक्त होना जरूरी है। साथ ही नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा और अपनी मर्जी का जीवन जीने की आजादी मिलनी चाहिए। सामान्यत: भारत में शहरीकरण किसी योजनाबद्ध विकास का परिणाम नहीं है बल्कि इनका विकास परिस्थितिजन्य एवं बेतरती तरीके से हुआ है। विकास का विकेंद्रीकरण नहीं हो सका, इसलिए लोग रोजी-रोटी के लिए बड़े शहरों की तरफ भागे। इस तरह जनसंख्या का बोझ शहरों पर बढ़ता गया। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से तमाम व्यवस्थाएँ बनती गईं लेकिन उनमें सुनियोजित दृष्टि का अभाव रहा। जाहिर है, एक अच्छा शहर विकसित न हो पाने के पीछे हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था होने की मजबूरी भी काम कर रही है। अगर हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और एक विकसित राष्ट्र होने का सपना देखते हैं तो हमें अपने शहरों को व्यवस्थित करना ही होगा और शायद तभी हम विदेशी पूंजी और प्रतिभा का लाभ भी ले पाएंग। ऐसे होने पर ही अन्य देशों के छात्र, शिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ हमारे यहाँ आने को प्रेरित होंगे। यद्यपि पिछले कुछ समय से स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है लेकिन अभी तक यह अवधारणाओं में ही सीमित है। इसे जमीन पर उतारने में वक्त लगेगा लेकिन अपने शहरों की हवा और माहौल सुधारने में हमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. भारत-बांग्लादेश संबंध : अच्छे पड़ोसी का आदर्श उदाहरण

चर्चा का कारण

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने चार दिवसीय दौरे पर भारत आयीं इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच सात नए करार हुए हैं। इनमें तीन नयी परियोजनाएं भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण एलपीजी आयात योजना है जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाली एलपीजी का पूर्वोत्तर राज्यों में वितरण किया जाएगा।

परिचय

भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, जिसमें भारत ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। 1972 में बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब-उर-रहमान ने भारत के साथ मित्रता और शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है।

मुजीब-उर-रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिनकी 1975 में एक सैन्य विद्रोह में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लंबे समय तक देश में सैन्य शासन रहा जिसका 1991 में लोकतंत्र की स्थापना के साथ अंत हुआ।

भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध काफी हद तक दोनों देशों की आंतरिक राजनीति पर निर्भर करते रहे हैं। बांग्लादेश राजनीति के एक ध्रुव का नेतृत्व मुजीब-उर-रहमान द्वारा स्थापित अवामी लीग करती है, जिसकी राजनीति धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह पार्टी अपने जन्म से ही भारत के प्रति मित्रतापूर्वक संबंध रखने की इच्छुक रही है। वहीं राजनीति के दूसरे ध्रुव पर स्थित है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें कट्टरपंथी व भारत विरोधी तत्वों का वर्चस्व है। यह पार्टी अकसर भारत पर दक्षिण एशिया में दादागिरी करने का आरोप लगाती रही है। इसी पार्टी की वजह से पिछले एक दशक में बांग्लादेश की चीन के साथ मित्रता बढ़ी है।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्त्व

विभिन्न उतार-चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक भारत के लिये प्रासंगिक रहा है, जिसको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है-

भौगोलिक कारक: बांग्लादेश का भूगोल बांग्लादेश के भू-राजनीतिक (जियो-पॉलिटिकल) महत्व को बढ़ाता है। भारत के लिए अगर पाकिस्तान मध्य एशिया में जाने का प्रवेश द्वार है तो बांग्लादेश पूर्वी एशिया जाने का द्वार। यही नहीं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा चीन से लगती है। ऐसे में भारत के लिए बांग्लादेश का सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है।

आर्थिक कारक: अर्थतंत्र ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बहुआयामी व्यापार, लेन-देन, क्रेडिट व्यवस्था, संयुक्त उद्यम, पारगमन सुविधाओं और परिवहन विकास को अपनाया गया है। यहाँ तक कि प्रतिकूल राजनीतिक स्थितियों के दौरान भी, दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को बिना किसी बाधा के जारी रखा और प्रसारित किया है।

गौरतलब है कि आज बांग्लादेश भारत के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का कुल निर्यात 6.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

उतर-पूर्व राज्यों के विकास में: भारत के उतर पूर्वी राज्यों के विकास में बांग्लादेश की अब महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। यह इलाका भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के काफी नजदीक है। किसी जमाने मे बांग्लादेश इनके लिए समस्या था, क्योंकि उतर पूर्वी राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी के कारण बांग्लादेशी घुसपैठ करते थे लेकिन अब स्थिति बदल गयी है।

बांग्लादेश पिछले बीस सालों में आर्थिक ताकत बन गया है। अब उतर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेशी निवेश की जरूरत है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि त्रिपुरा ने बांग्लादेशी उद्यमियों को त्रिपुरा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

विदित हो कि, उतर पूर्वी राज्यों के लिए सबसे नजदीक का बंदरगाह चिटगांव है। भारत के समुद्री नौवहन के लिए चिटगांव महत्वपूर्ण है। चिटगांव बंदरगाह उतर पूर्वी राज्यों के लिए आयात और निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा से यह महज 100 किलोमीटर की दूरी पर

स्थित है। यही नहीं उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे भारत से जोड़ने में बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। अगर आज बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के त्रिपुरा, मिजोरम समेत कई राज्यों को जोड़ा जाएगा तो परिवहन खर्च में खासी बचत होगी। फिलहाल उत्तर पूर्व से भारत को पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी जोड़ता है, जो बांग्लादेश की सीमा से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

निवेश में संभावनाएँ: आज बांग्लादेश में बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में निवेश की भारी संभावनाएं हैं। कई एशियाई देशों के निवेश का बड़ा केंद्र इस समय बांग्लादेश बन गया है।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारकः तमाम विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबूत हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रीति रिवाज बंग्लादेश से मिलती जुलती हैं। नतीजतन सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आयी है और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल संबंध बढ़ा है।

शांति एवं विकासः बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल मोटर वाहन समझौते (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह सार्क (SAARC) बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है। अतः इस प्रकार क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में यह अहम सहयोगी है। इसके साथ ही बांग्लादेश दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भी भारत का सहयोग कर रहा है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से भारत-बांग्लादेश के बीच कई विवाद के विषय रहे हैं जिनमें से दो मुद्दें मुख्य हैं: बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता, एवं चीन के साथ सामरिक संबंध। इसके अलावा जल विवाद, बांग्लादेश को तीन बीघा कॉरिडोर का हस्तांतरण, असम व अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के उग्रवादियों को बांग्लादेश द्वारा शरण देने का मसला और हरकत-उल-जिहाद-इस्लामी जैसे आंतकवादी संगठनों को बांग्लादेश में प्रश्रय मिलना जैसे मुद्दे आदि। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-

सीमा विवादः रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत, बांग्लादेश के साथ पाँच राज्यों के माध्यम से 4351 कि.मी. तक फैली भूमि सीमा को साझा करता है, जैसे, पश्चिम बंगाल (2217 कि.मी.), असम (262 कि.मी.), मेघालय (443 कि.मी.), त्रिपुरा (856 कि.मी.) और मिजोरम (318 कि.मी.)। यह सीमा 5 राज्यों के 25 जिलों से होकर गुजरती है। पोरस बार्डर को अकसर भारत से बांग्लादेश तक खाद्य वस्तुओं, मवेशी, औषधियों और दवाइयों की तस्करी के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश से हजारों अवैध अप्रवासी पिछले कुछ वर्षो से रोजगार की तलाश और अपने जीवन में सुधार के लिए भारत की सीमा में आते रहे हैं।

जल विवादः भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से 54 अलग-अलग आकार की नदियों का आवागमन होता है। सन् 1996 दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इस वर्ष गंगा जल के बँटवारे पर उन्होंने सफलतापूर्वक एक समझौता किया था। हालांकि, फरक्का बैराज बनाने और उसे संचालित करने की भारतीय योजना विवाद का प्रमुख कारण रही है। फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य गंगा नदी की भागीरथी-हुगली शाखा के कम प्रवाह को बढ़ाना है, ताकि कोलकाता बंदरगाह में पानी की गहराई को बढ़ाया जा सके। हालांकि, बांग्लादेश में सिंचाई निकासी में वृद्धि हुई, लेकिन फरक्का में लीन सीजन (वर्षा की कमी वाला समय) का सहभाजन भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद बन गया। लीन सीजन के दौरान अपर्याप्त पानी दोनों देशों में आंकी की गई मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके कारण यह सीमावर्ती देशों के बीच संघर्ष का मूल कारण बन गया है।

अवैध प्रवासन एवं एनआरसी मुद्दाः अवैध प्रवास दोनों देशों के बीच सबसे समस्यात्मक मुद्दा रहा है। सन् 1971 के बाद लाखों बांग्लादेशी प्रवासी (उनमें से अधिकांश अवैध) भारत में पड़ोसी राज्यों की सीमा पार कर आ गए। हालांकि, भारत सरकार ने इनमें से कुछ अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का भी प्रयास किया, लेकिन अप्रवासियों की बड़ी संख्या और दोनों देशों के बीच पोरस बार्डर ने भारत सरकार के प्रयासों को नाकाम कर दिया। अवैध अप्रवासियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से खतरा उत्पन्न करने के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर में सामाजिक निर्माण पर भी असर डाला।

गौरतलब है कि सरकार ने असम में अवैध प्रवास को लेकर एनआरसी की व्यवस्था की है जिसका मूल उद्देश्य, प्रदेश में विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है।

भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में भारत एनआरसी को लेकर बांग्लादेश से संबंध खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी बांग्लादेश के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है।

सुरक्षाः पिछले कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई द्वारा बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों की घुसपैठ, उनका सहयोग और वहीं से उनका परिचालन करने का प्रयास किया जा रहा है। लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए), त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन (एनएलएफटी)और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफएम) प्रमुख विद्रोही समूह हैं जो पूर्वोत्तर भारत में आतंक का माहौल बनाए हुए हैं।

चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव

चीन और बांग्लादेश के संबंध शुरूआती परस्पर विरोध से लेकर स्थायी सामरिक साझेदारी की स्थापना तक नाटकीय बदलाव के साक्षी रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। वहीं बांग्लादेश की आजादी के बाद, चीन ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रवेश का भी वीटो किया था। बावजूद इसके आज बांग्लादेश, चीन को अपना दुख-सुख का साथी और भरोसेमंद सहयोगी समझता है। 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ढाका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी की स्थापना की।

गौरतलब है कि चीन-बांग्लादेश संबंधों के कई पहलू हैं। दोनों देश रक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और जनता के बीच आपसी सम्पर्क जैसे संबंधों को साझा करते हैं। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को उनके आपसी रिश्तों की बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है। चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ बांग्लादेश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन, बांग्लादेश के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है।

वहीं चीन, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी भी है और उनका आपसी व्यापार 10 बिलियन डॉलर का है। चीन, बांग्लादेश में विशेषकर विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश भी कर रहा है।

विकास संबंधी सहयोग दोनों देशों के आपसी संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है। अवसंरचना में चीन, बांग्लादेश का प्रमुख साझीदार

है। चीन पूलों, सड़कों, रेलवे ट्रैक्स, हवाई अड्डों और बिजली घरों का निर्माण कर रहा है।

इस तरह की विकास संबंधी साझेदारी की पहलों के जरिए चीन को बांग्लादेश में अपनी छवि सुधारने में मदद मिली जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। विकास संबंधी साझेदारी के माध्यम से चीन अपने आपको इस रूप में प्रस्तुत कर सका कि वह बांग्लादेश का मित्र है और वहाँ की जनता का कल्याण और प्रगति चाहता है। चीन की इस छवि ने बांग्लादेश में उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया है। चीन ने बांग्लादेश में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपनी इस लोकप्रियता का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ-सार्क में पर्यवेक्षक के तौर पर अपने प्रवेश को समर्थन देने के लिए बांग्लादेश को राजी किया। साथ ही उसने बांग्लादेश को बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने के लिए समझाया।

गौरतलब है कि चीन की प्रमुख दिलचस्पी बांग्लादेश के 160 मिलियन के सशक्त बाजार में है। इसके अलावा, सस्ते मजदूरों के कारण बांग्लादेश चीन के विनिर्माण उद्योगों के लिए आउटसोर्सिंग का एक अच्छा विकल्प है।

हालाँकि, चीन और बांग्लादेश की इस दोस्ती के लिए भारत भी एक कारक है। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जो भारत को संतुलित करने के लिए चीन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का हिमायती है। यह रिश्ता चीन को दक्षिण एशिया के एक प्रमुख देश में मौजूदगी का अवसर देता है। विशेषज्ञों सुरक्षा विश्लेषकों की राय है कि भारत और चीन के बीच विवादित सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच कोई बड़ा संघर्ष छिड़ने की स्थिति में चीन, बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों का लाभ उठाकर भारत पर पैनी नजर रख सकता है। ऐसे में समय की माँग है कि तेजी से विकास कर रहे बांग्लादेश के साथ भारत अपने संबंधों को प्रगाढ़ करे।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। दोनों देश विश्व पटल पर आर्थिक मोर्चे पर साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।

वर्तमान में भारत बांग्लादेश के 'सदाबहार मित्र' के रूप में उभरा है क्योंकि भारत का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट : बजट 2019–20 के आलोक में

चर्चा का कारण

हाल ही में 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' (State Finance: A Study of Budgets of 2019-20) नामक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गयी। इस विषय पर रिपोर्ट या अध्ययन को भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष जारी करता है, अर्थात यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त सूचना, विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता है।

परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' नामक रिपोर्ट में 2017-18 के वास्तविक आँकड़ों और 2018-19 के लिए संशोधित परिणामों (और अनंतिम खातों) की पृष्ठभूमि को देखते हुए 2019-20 के लिए बजट अनुमानों (Budget Estimate) की अंतर्निहित गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट राज्यों की मध्यम अवधि की राजकोषीय चुनौतियों को भी संबोधित करती है। इस रिपोर्ट में राज्यों की राजकोषीय चुनौतियों के अतिरिक्त राजकोष से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी है। इस सब के लिए विभिन्न राज्यों के प्रारंभिक डाटा का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003-FRBM) के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा कैसा है। रिपोर्ट में यह भी अध्ययन किया गया है कि राज्यों का बकाया कर्ज पिछले पाँच वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले किस स्तर का रहा है और इसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ व्याप्त हैं। रिपोर्ट में 'ऑफ-बजट देनदारियों' (Off-Budget Liabilities) के बारे में भी चेतावनी दी गयी है। इस रिपोर्ट को आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राज्य वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

भारतीय रिजर्व बैंक 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' नामक रिपोर्ट में बतायी गयी बातों को निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों का पिछले पाँच वर्षों के दौरान उधार (Debt) बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) की तुलना में 25 प्रतिशत हो गया है। इसका कारण राज्यों द्वारा अपने राजकोष का सही से प्रबंधन न किया जाना और अतार्किक सब्सिडियाँ उपलब्ध कराना है।
- पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) से राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit-GFD) का स्तर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM) के लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। हालाँकि राज्यों का जीएफडी एफआरबीएम की सीमा के अंतर्गत रहने का कारण उत्तम राजकोषीय प्रबंधन या अतिरिक्त कमाई नहीं रही है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्यों ने अपने पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure) में तेजी से कमी की है।
- रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि सभी राज्य मिलकर, केन्द्र की अपेक्षा 5 गुना अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और केन्द्र की अपेक्षा डेढ़ गुना ज्यादा खर्च करते हैं। इस स्थिति में यदि राज्यों का पूँजीगत खर्च कम हुआ तो देश में रोजगार की स्थिति और भी बदहाल हो सकती है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे बड़े आर्थिक सुधारों के चलते न सिर्फ जीडीपी विकास दर में कमी आयी है बल्कि रोजगार सृजन में भी काफी नकारात्मक असर हुआ है। जानकार यह भी कहते हैं कि यदि लोगों के पास रोजगार नहीं हुआ तो बचत (Savings) पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे निवेश भी प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त जब नया निवेश अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाता है तो इससे आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ जाती हैं जो देश को मंदी की ओर ढकेल सकती हैं।

नोट: 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' को संसद द्वारा 2003 में पास किया गया था। यह वित्तीय अनुशासन को संस्थागत करने, आर्थिक प्रबंधन में सुधार लाने, एक संतुलित बजट की ओर बढ़ने और सार्वजनिक कोष के समग्र प्रबंधन के वित्तीय विवेक को मजबूत करने हेतु लाया गया था। इसे लागू करते समय यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2008 तक वित्तीय घाटे को जीडीपी के तीन फीसदी के स्तर पर लाया जायेगा, लेकिन वर्ष 2008 में शुरू हुई वित्तीय वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। सन् 2016 में 'एन.के.सिंह' की अध्यक्षता में एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

- 2019-20 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाना चाहिए।
- 2022-23 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के तीन प्रतिशत के स्तर तक लाया जाना चाहिए, हालाँकि समिति द्वारा यह भी कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत तक विचलन लिया जा सकता है।
- 2022-23 तक राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.8% के स्तर तक लाया जाना चाहिए।
- एफआरबीएम एक्ट को समाप्त कर नया विधान लाया जाना चाहिए।

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य इसी तरह पूँजीगत खर्च में कटौती करते रहे तो देश की अर्थव्यवस्था अनुत्पादक हो सकती है या फिर एक जाल (Trap) में फँस सकती है। यदि राज्यों द्वारा पूँजीगत खर्च के रूप में दीर्घकालीन निवेश नहीं बढ़ाया गया तो उनकी लम्बे समय के लिए पूँजीगत प्राप्ति (Capital Reciept) नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इस प्रकार जब राज्यों की 'प्राप्ति' में कमी आयेगी तो वह कम खर्च करने के लिए बाध्य हो सकते हैं या फिर भारी-भरकम उधार लेकर अर्थव्यवस्था को एक गंभीर संकट में डाल सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष में पूँजीगत खर्च में कटौती करना न सिर्फ संबंधित वित्तीय वर्ष पर नकारात्मक प्रभाव डालता है बल्कि यह प्रवृत्ति दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को रुग्णता के एक जाल में फँसा देती है।
- काई भी सरकार दो तरह से कोष में राजस्व (Revenue) को बढ़ाती है- राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Reciepts) और पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Reciepts)। जब राज्य सरकारें पूँजीगत खर्च में कटौती कर रहीं हैं तो पूँजीगत प्राप्ति की संभावनाएँ क्षीण हो जायेंगी। इस स्थिति में राज्य, राजस्व प्राप्तियों की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं। राजस्व प्राप्तियों में भी मुख्य रूप से कर राजस्व (Tax Revenue) के 'उर्ध्वाधर पहलू' (Vertical Aspect) पर अधिक जोर दिया जाता है जिससे जनता के कुछ ही अंश पर अधिक कर भार पड़ता है। इस स्थिति में टैक्स चोरी, पलायन आदि की समस्याएँ बढ़ जाती हैं जो आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर डालती हैं।
- राज्य सरकारों को यदि उधार लेना होता है तो वह इसका उल्लेख बजटीय प्रावधानों में करती हैं। बजट के माध्यम से व्युत्पन्न हुई देनदारियों को चुकाने हेतु एक उपयुक्त नीति का प्रावधान होता है, लेकिन राज्य सरकारें कभी-कभी 'आफ बजट देनदारियों' का भी सृजन करती हैं अर्थात् बजटीय प्रावधानों के अतिरिक्त सब्सिडी या अन्य खर्चे निपटाने हेतु उधार लिया जाता है या किसी के प्रति देनदारी बढ़ायी जाती है। रिपोर्ट में 'ऑफ बजट देनदारियों' के जोखिम को वर्णित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गारंटी के रूप में उत्पन्न हुई 'ऑफ बजट देनदारियाँ' न सिर्फ 'विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन' में बाधा उत्पन्न करती हैं बल्कि 'ऋण स्थिरता' (Debt Sustainability) के लिए एक आकस्मिक जोखिम (Contingent Risk) को पैदा करती हैं। इसे इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी से संदर्भित किया गया है। वर्तमान में कई बिजली वितरण कम्पनियाँ विभिन्न तरह की बाधाओं से गुजर रहीं हैं और उनका घाटा भी उच्च स्तर पर है। इसका कारण उपभोक्ताओं से उन्हें अपेक्षित मात्रा में राजस्व का न मिल पाना है और राज्य सरकारों द्वारा बिजली पर सब्सिडी उपलब्ध कराना है। इस प्रकार रिपोर्ट में बिजली पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराना 'ऑफ बजट देनदारी' के एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी राज्य सरकारें 'ऑफ बजट देनदारी' बढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका विभिन्न कारणों के चलते उपभोक्ताओं से वसूली तंत्र कमजोर है, यह समस्या बिजली एवं परिवहन क्षेत्र में काफी अधिक है। इन कारणों से अर्थव्यवस्था की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' (उदय /UDAY), विद्युत वितरण करने वाली कम्पनियों के आर्थिक पुनरुत्थान करने हेतु भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना सन् 2015 से चल रही है। इस योजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर विद्युत वितरण कम्पनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' में कहा है कि उदय योजना से राज्यों के राजकोष पर काफी दबाव पड़ा है, जिससे उनकी पूँजीगत खर्च की क्षमता में कमी आयी है। उदय योजना की ही तरह दूसरी महत्त्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' की भी चर्चा की गयी है। आयुष्मान भारत के विषय में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना भी पहले से ही कमजोर राज्यों पर और अधिक वित्तीय दबाव डालेगी। उल्लेखनीय है कि 'आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल, 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है।
- भारत सरकार द्वारा भारतीय कराधान प्रणाली को एकीकृत करने के उद्देश्य से कानूनी सुधार करके एक नयी व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। इस नयी कर व्यवस्था ने कई फायदे दिये तो कई तरह की चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी से 'टैक्स बॉइअन्सी' (Tax Buoyancy) पर विपरीत असर पड़ा है, इस कारण राज्यों को उपयुक्त राजस्व कोष प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी के फ्रेमवर्क ने 'एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर' (आईजीएसटी) एवं अनुदानों के हस्तांतरण से जुड़ी अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों को भी उत्पन्न किया है। जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत राज्यों की राजस्व संग्रहण की स्वायत्तता भी कम हुई है।

टैक्स बॉइअन्सी (Tax Buoyancy): बॉइअन्सी का तात्पर्य 'उत्प्लाव या उछाल' से है अर्थात् 'बढ़ने' से है। इस प्रकार 'टैक्स बॉइअन्सी', टैक्स के बढ़ने के दर को संदर्भित करती है। जैसे-जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दायदा बढ़ता है, वैसे-वैसे टैक्स (कर) का संग्रहण भी बढ़ता है, इसी प्रक्रिया को टैक्स बॉइअन्सी कहा जाता है। टैक्स बॉइअन्सी 'टैक्स टू जीडीपी अनुपात' को भी संदर्भित करता है।

- सरकार बजट में राजस्व प्राप्ति को ठीक से आकलित नहीं करती है अर्थात् उसका बजट प्रबंधन उच्च कोटि का नहीं है। इस कारण

जब बाद में राजस्व की प्राप्ति कम होती है तो राज्य के पास अपने खर्च को सीमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, इससे उन क्षेत्र में भी पैसा कम पहुँच पाता है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होते हैं अथवा यह भी हो सकता है कि ये क्षेत्र रोजगार पैदा करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हों।

15वाँ वित्त आयोग: केन्द्र सरकार ने 22 नवम्बर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। इस आयोग के अध्यक्ष 'एन.के.सिंह' हैं और आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक का है। 15वें वित्त आयोग की 'संदर्भ शर्तों (Term of References) को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। दक्षिण के कुछ राज्यों ने 15वें वित्त आयोग की 'संदर्भ शर्तों' को सहकारी संघवाद पर कुठाराघात माना था और शर्तों को उत्तर एवं दक्षिण राज्यों के बीच भेद-भाव उत्पन्न करने वाला बताया था। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग से पहले अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है।

- केन्द्र सरकार अपने खर्च की पूर्ति करने हेतु विभिन्न 'उपकर और अधिभार' (Cess and Surcharges) को आरोपित करती है, किन्तु इन उपकरों एवं अधिभारों से प्राप्त 'राजस्व पूल' में राज्यों से किसी भी प्रकार हिस्सा साझा नहीं किया जाता है। इस स्थिति में राज्य सरकारों के पास वित्त की कमी रहती है। रिपोर्ट में आँकड़ा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार ने 'उपकर एवं अधिभार' से लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है जो कि केन्द्र सरकार के सकल राजस्व के लगभग 15 प्रतिशत राशि के बराबर है।
- केन्द्र सरकार ने 2017 में एन.के.सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों (Terms of References) में कहा है कि आयोग को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को धन आवंटन पर विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की 'संदर्भ शर्त' से 'राजस्व पूल' से राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्से में और कटौती होगी।

सुझाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट अध्ययन' रिपोर्ट में चुनौतियों से निपटने हेतु कुछ सुझाव भी दिये हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- सरकार को राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि राज्यों को बाध्य होकर पूँजीगत व्यय में कटौती न करनी पड़े। इसके लिए राजस्व प्राप्ति के टैक्स (कर) के क्षैतिज पहलू (Horizontal Aspect) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, अर्थात् सरकार को कर में ऐसे नीतिगत सुधार करने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय कर प्रणाली में शामिल हो सकें।
- कर का बोझ कुछ लोगों पर डालने से बचना चाहिए क्योंकि यह अंततः दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक ही होता है।
- सरकार को लगातार जीएसटी प्रणाली में सुधार करते रहने की आवश्यकता है ताकि इससे अपेक्षित राजस्व प्राप्त हो सके और कर चोरी की प्रवृत्ति को कम किया जा सके।
- राज्य सरकारों को 'ब्रेक-ईवन शुल्कों' (Break-even Charges) को भी ध्यान में रखते हुए विद्युत और सिंचाई से संबंधित अपनी टैरिफ (Tariff) नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि ब्रेक-ईवन शुल्क, ऐसे शुल्क होते हैं जो उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किये जाते हैं। इन शुल्कों को लगाने से बिजली कम्पनियाँ या अन्य उद्योगों के पास उतना पैसा आ जाता है जिससे वो यदि लाभ नहीं कमा सकते तो घाटा में भी न जायें अर्थात् लागत वसूल हो सके।

आगे की राह

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' से स्पष्ट है कि राज्य सरकारों पर कई तरह के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, किन्तु ये ऐसे बादल हैं जिनसे कुछ व्यावहारिक एवं दूरगामी सोच से युक्त नीतियों के माध्यम से बचा जा सकता है। इस परिदृश्य में सरकार को करों के 'क्षैतिज पहलू' पर ध्यान देने के साथ-साथ अन्य संसाधनों को जुटाने की ओर भी उन्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि पूँजीगत खर्च में कटौती किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 'राजस्व में कमी के दुष्चक्र' को भेदने हेतु कई उपायों को सुझाया है जिन्हें तात्कालिक रूप से अमल में लाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. भारत में सहकारी बैंकों का महत्त्व एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank- PMC Bank) में हुए घोटाले पर कार्यवाही करते हुए उसे अगले 6 महीनों तक किसी भी प्रकार का कार्य न करने का आदेश दिया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह घोटाला करीब 7000 करोड़ का है। इस बैंक की 137 शाखाओं में 51 हजार सदस्य हैं, जिन्होंने बैंक में 11,617 करोड़ रुपये जमा किए हुए हैं। यह देश के पाँच प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों में शामिल है। इस घोटाले की जानकारी रिजर्व बैंक को एक व्हिसलब्लोअर के माध्यम से मिली, जिसके बाद 24 सितंबर को आरबीआई ने बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया और नगद निकासी की सीमा तय कर दी। इसके तहत इस बैंक के ग्राहक को अगले छह माह तक 25,000 रुपये से ज्यादा की निकासी की अनुमति नहीं है।

हाँलांकि इस घटना के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सहकारी बैंकों ने देश के गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर न केवल बैंकिंग प्रणाली के विकास में योगदान दिया है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परिचय

सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं, जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। देश के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूँजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत किया जाता है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।

सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा संबद्ध क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराना है। भारत में इन बैंकों की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियम के माध्यम से हुआ है।

भारत में सहकारी बैंक तीन स्तर पर कार्यरत हैं, जिनके विवरण निम्नलिखित हैं-

राज्य सहकारी बैंक: ये बैंक राज्य विशेष में कार्यरत हैं। ये केन्द्रीय अथवा जिला सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।

केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक: ये बैंक एक जिले विशेष में स्थित होते हैं। ये बैंक राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर अपनी चालू पूँजी में वृद्धि कर सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो यह बैंक राज्य सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।

प्राथमिक सहकारी शाख: एक गाँव अथवा क्षेत्र के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियाँ उत्पादक कार्यों जैसे कृषि क्षेत्र, आदि के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं।

सहकारी बैंकों का महत्त्व

सहकारी बैंकों के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- सहकारी बैंक गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- सहकारी बैंकों का प्रमुख महत्व ऋण देने को लेकर भी है। विदित हो कि ऐसे बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये कर्ज नकद (cash) और वस्तु (kinds) दोनों ही रूपों में देते हैं। वस्तु के रूप में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को मुख्यत: बीज, खाद, यन्त्र, कीटाणुनाशक औषधियाँ, धान से चावल निकालने का हालर, आटा चक्की, तेलधानी, ट्रैक्टर, यांत्रिक हल आदि देते हैं। इस प्रकार सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण और कम पढ़ी-लिखी आबादी को परंपरागत उधारदाताओं के जाल से बचाते हैं।
- सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया है। केन्द्रीय सहकारी बैंक जमा को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए जमा धन पर साधारण दर से ब्याज भी देते हैं।
- सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक आवश्यक योजनाएँ भी बनाते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं। अपने इस विशेष उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सहकारी बैंक अपने सदस्यों को गैर सदस्यों की अपेक्षा कर्ज देने तथा उनके कृषि एवं उद्योग सम्बन्धी कार्यों में विशेष सुविधा प्रदान करते हैं।
- वर्तमान समय में देश भर में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि-आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिये आवश्यकता-आधारित वित्त प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।

सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य और उद्देश्य सहकारी बैंकों से अलग होते हैं। इनके बीच अंतर का जिक्र निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत किया जा सकता है-

- वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जबकि सहकारी बैंक सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं।
- वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के आधार पर की गयी है।
- प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार होता है, जबकि सहकारी बैंकों में केवल राज्य सहकारी बैंक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- वाणिज्यिक बैंक विदेशों में भी अपनी शाखाएँ खोल सकते हैं, लेकिन सहकारी बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 पूरी तरह से भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जबकि सहकारी बैंक आंशिक रूप से इस अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।
- इन सब के अलावा वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में पाया जाने वाला एक मुख्य अंतर यह है कि सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएँ देने की कम क्षमता होने के साथ ही सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है।

सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ

आज देश के सहकारी बैंक जिस प्रकार संकट का सामना कर रहे हैं, वह देश की सहकारी बैंकिंग प्रणाली हेतु चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- सहकारी बैंकों एवं साख समितियों में वित्त की कमी एक मूल समस्या बनी हुई है। ये संस्थाएँ जनता से प्रत्याशित जमा आकर्षित नहीं कर पाई हैं।
- रिजर्व बैंक राज्यीय सहकारी बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी प्रकार नाबार्ड द्वारा भी इन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, किन्तु राज्यीय सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक इन सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं उठाते हैं।
- आज भी सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहकारिता के आदर्शों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों की प्रभावी संचालन तकनीकी से अनभिज्ञ हैं।
- भारत में सहकारी बैंकों एवं समितियों के कार्यकलाप सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित न होकर सरकारी विभागों की तरह संचालित होते हैं। यही कारण है कि किसानों ने सहकारी बैंकों एवं साख समितियों को आमतौर पर ऋण देने वाली सरकारी संस्था मान लिया है।
- सहकारी बैंकों एवं साख समितियों को न केवल व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करना पड़ता है, वरन देशी बैंकर्स एवं साहूकारों से भी इन्हें प्रतियोगिता करनी होती है परंतु सहकारी संस्थाएँ अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इस प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं कर पातीं।
- आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45 प्रतिशत ही है, जिसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के 55 प्रतिशत लोग आज भी सहकारिता से जुड़ नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिये कुछ प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना, जैसे-ऋण हेतु निश्चित सुरक्षा (Security) प्रदान करने में लोगों की अक्षमता, भूमि रिकॉर्ड का सही प्रबंधन न होना, निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता। ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता, आदि।

- एक अन्य चुनौती सहकारी संस्थाओं में अनियमितताओं, पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद का पाया जाना है। प्रायः यह देखा गया है कि ऋण एवं अन्य सुविधाएँ जरूरतमन्द किसानों की अपेक्षा धनी किसानों और पदाधिकारियों के सम्बन्धियों तथा मित्रों को ही उपलब्ध करायी जाती हैं।
- इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि देश के कुछ सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए हैं और कुछ तो सिर्फ कागजों पर ही हैं। साथ ही ज्यादातर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन की कमी का भी सामना कर रहे हैं।
- सहकारी बैंक कृषकों को केवल कृषि कार्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं, जबकि कृषकों को कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ऋणों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा लिये जाने वाले ऋण का कुछ ही हिस्सा सहकारी बैंकों से लिया जाता है।
- सहकारी बैंकों एवं समितियों का प्रबन्धन योग्य, कुशल एवं समर्पित अधिकारियों के हाथों में नहीं है।
- सहकारिता के क्षेत्र में एक कमजोरी दृष्टिकोण की भी है। सहकारी बैंकों में नियमवादिता और अदूरदर्शिता की वे सभी बुराईयाँ आ गई हैं जो सरकारी विभागों में आम तौर पर पायी जाती हैं। फलतः सहकारी बैंकों में भी अफसरशाही का बोलबाला हुआ है।
- एक अन्य चुनौती सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के द्वंद्व से उत्पन्न हुई है, क्योंकि इनका नियमन और नियंत्रण तो आरबीआई द्वारा किया जाता है परंतु इसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आगे की राह

देश में सहकारी बैंकों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है है। चूँकि आज इसके माध्यम से सरकार देश में बैंकिंग प्रणाली को जन-जन तक पहुँच पायी है, किंतु सहकारी बैंकों में आये दिन होते घोटालों को देखते हुए यह भी जरूरी है कि देश के सहकारी बैंकिंग ढाँचों में कुछ बुनियादी परिवर्तन किये जाएँ। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है- आर.गाँधी (पूर्व डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में गठित शहरी सहकारी बैंकों पर बनी समिति ने सुझाव दिया था कि यदि शहरी सहकारी बैंक अपनी इच्छा से छोटे वित्त बैंकों में बदलना चाहते हों और साथ ही वे केंद्रीय बैंक के सभी मानदंडों को पूरा करते हों तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिये। इस समिति ने बताया था कि नियंत्रण के द्वंद्व की समस्या सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिये आवश्यक है कि आरबीआई और राज्य सरकार एक ही पटल पर आकर समन्वित रूप से कार्य करें ताकि सहकारी बैंकों को देश के विकास में योगदान हेतु तैयार किया जा सके।

गौरतलब है कि सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी एक अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौती है, जिससे जल्द-से-जल्द निपटाया जाना चाहिए। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में वॉचडॉग यानी ऑडिटर को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहाँ पर ऑडिटर और जाँच संस्थानों की उपस्थिति के बावजूद भी लोगों द्वारा घोटाला किये गये।

इनके अतिरिक्त सहकारी बैंकों पर आरबीआई को अधिक शक्तियाँ प्रदान किया जाए ताकि इन बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण हो सके। साथ ही सहकारी बैंकों के ग्राहकों की परेशानियों को समाप्त करते हुए उन्हें और अधिक ग्राहक-हितैषी बनाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

7. खुले में शौच से मुक्त भारत : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। अहमदाबाद के साबरमती में आयोजित 'स्वच्छ भारत दिवस' कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि भारत ने बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय मुहैया कराने और 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जिस शौचालय की बात करने में लोगों को झिझक होती थी, वे आज देश की सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

परिचय

व्यक्ति जब शौच व दैनिक नित्य-क्रिया के लिए शौचालय का इस्तेमाल न करते हुए बाहर खुले मैदानों में, झाड़ियो में, जंगलों में, रेल की पटरियों के किनारे व प्राकृतिक जल स्रोतों के नजदीक जाता है, तब उसके इसी व्यवहार को "ओपन डेफिकेशन" (Open defecation) कहा जाता है। ओपन डेफिकेशन अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है, खुले में शौच या मलत्याग करना"।

गौरतलब है कि भारत में यह समस्या हमेशा से ही इतनी विकराल रही है कि दुनियाभर में भारत को खुले में शौच करने वाली सबसे बड़ी आबादी का घर कहा जाता है। विश्व की कुल शहरी आबादी का लगभग 11 प्रतिशत ही भारतीय शहरों में रहता है। परंतु विश्व स्तर पर खुले में शौच करने वाली कुल आबादी का लगभग 47 प्रतिशत इसी भारतीय शहरी जनसंख्या से आता है। इस प्रकार खुले में शौच को जनस्वास्थ्य के लिए एक व्यापक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

इस चुनौती से निपटने के लिए और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने साल 2014 में 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरूआत की थी। उन्होंने इस योजना के तहत घोषणा किया था कि 02 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया जायेगा। इसके तहत शहरी निकायों में नगर विकास विभाग के जिम्मे ओडीएफ के लिए शौचालय निर्माण का कार्य किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व स्वच्छता विभाग इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

वर्तमान स्थिति

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2 अक्टूबर, 2014 को 38.7 फीसदी थी, वह अब बढ़कर 98 फीसदी से अधिक हो गयी है। सरकार ने बताया कि फिलहाल 27 राज्य, 601 जिले, 5,934 ब्लॉक, 2,46,116 ग्राम पंचायतें और

5,50,151 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त घोषित करने से पहले राज्यों द्वारा अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना शुरू हो चुका था। विदित हो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य पहले ही खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

इस दौरान 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करने के साथ ही 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा इसमें 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण भी स्वच्छता के लिए नगरपालिका के ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है।

शौच मुक्त का दर्जा बनाम व्यावहारिकता

गौरतलब है कि ओडीएफ अभियान, सरकार के शुरू किये गए स्वच्छता अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के शुरू होने के बाद से सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने का वास्तव में सकारात्मक नतीजा प्राप्त भी हुआ है। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण भी सामने आये हैं जो खुले में शौच मुक्त के दर्जे पर सवाल खड़े करते हैं। जिसका जिक्र नीचे किया गया है-

जमीनी हकीकत यही है कि अभी भी हजारों शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है। गाँव की बड़ी आबादी खुले में शौच कर रही है। जिन शौचालयों का निर्माण किया भी गया है उनमें से कई का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में दो दलित बच्चों की हत्या इसलिए कर दी गई कि यह गाँव के पंचायत भवन के सामने शौच कर रहे थे यह मामला देश के खुले में शौच मुक्त करने के सरकार के दावे की हकीकत को बयां करता है। ठीक इस तरह झारखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें शौच के लिए गई महिला या युवती को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात हुई है।

उल्लेखनीय है कि कागजों पर तो गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के पिछड़े राज्यों में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी नई दिल्ली भी अभी तक खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाई है। विदित हो कि कुछ महीनों पहले गुजरात को 'खुले में शौच से मुक्त' (ओडीएफ) राज्य घोषित किया गया था। हालाँकि एक आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि गुजरात के ग्रामीण घरों में अभी लाखों शौचालयों की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने गुजरात के संदर्भ में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुले में शौच मुक्त दर्जे के राज्य सरकारों के दावे को खारिज कर दिया गया। स्मरणीय हो कि गुजरात सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को राज्य के सभी जिलों को खुले में शौच मुक्त करार दे दिया था। हालांकि, कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-2017 की अवधि के लिए चयनित 8 जिला पंचायतों के तहत 120 ग्राम पंचायतों के परीक्षण में 54,008 परिवारों में से 15,728 परिवारों यानी कुल परिवारों के 29 फीसदी हिस्से को अब भी शौचालय नसीब नहीं हैं।

गौरतलब है कि खुले में शौच मुक्त दर्जे का ऐलान 2012 में पंचायतों, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया है कि इस सूची को 2012 के बाद अपडेट नहीं किया गया था और इसलिए, कई घर जो आधारभूत सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं थे और जिनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें खुले में शौच मुक्त दर्जे के एलान के वक्त शामिल नहीं किया गया था। कैग रिपोर्ट में इस जवाब को तर्कसंगत नहीं माना गया है क्योंकि बड़ी संख्या में परिवार या तो बिना शौचालय के थे या कई वजहों से इसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं थे।

खुले में शौच मुक्त के दर्ज को स्वीकारने में एक दिक्कत यह भी है कि भारत के गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना एक जटिल काम है। कई धार्मिक, सांस्कृतिक और जाति आधारित कारणों के साथ ही भारतीय लोग मल की बदबू, इसके दिखने और यहाँ तक कि बात-चीत में इसके जिक्र के भी खिलाफ होते हैं।

वहीं भारतीय लोग शौच के बाद पानी का इस्तेमाल पसंद करते हैं और टॉयलेट को फ्लश करते हैं, जिसे पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना नहीं बनाया जा सकता है। ये फैक्टर शौचालय निर्माण के उन तकनीकों को सीमित करते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों की कई कमियाँ सामने आ रही हैं।

अक्सर लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या न सिर्फ सीमित है बल्कि कई शौचालय बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। जैसा कि कैग रिपोर्ट में जिक्र है, परीक्षण किए गए 120 ग्राम पंचायतों में से 41 में घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय बिना इस्तेमाल के रह गए इसी प्रकार 15 गांवों में या तो पानी की अनुपलब्धता और सूखे गड्ढे या अधूरे निर्माण की वजह से शौचालयों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।

खुले में शौच मुक्त का दावा विभिन्न राज्य सरकारें करती रहती हैं। इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है राजनीतिक फायदा। स्वच्छ भारत मिशन के शुरूआती दिनों में, खुले में शौच मुक्त का स्टेटस राजनेताओं के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में इन्सेन्टिव के तौर पर काम करता था। जहाँ, इंदौर जैसे कुछ जिलों में ये सफल हुआ, वहीं कई दूसरी जगहों पर शौचालय निर्माण में ये एक बड़ी रुकावट साबित हुई। उदाहरण के लिए, गुजरात के एक गांव में, विपक्षी नेता ने अपने समर्थकों को शौचालय निर्माण को लेकर हतोत्साहित किया ताकि मौजूदा सरपंच के कार्यकाल के दौरान गांव को खुले में शौच मुक्त का दर्जा न मिल सके। खुले में शौच मुक्त का स्टेटस राजनीतिक उपलब्धियों के अनुरूप बन गई है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है- सरकारी दावे के विपरीत पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य होने के बावजूद स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों एवं सफलता का विज्ञापन किया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- प्रत्येक गांव में खुले में शौच को रोकने के लिए निगरानी टीम का गठन भी किया गया है, लेकिन यह निगरानी टीम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही है। जिस कारण से खुले में शौच बदस्तूर जारी है।
- खुले में शौच मुक्त अभियान में गांवों के अधिकांश लोग सहयोग नहीं करते। गौरतलब है कि शौचालय के लिए आवंटित रकम देने के बाद भी शौचालयों का निर्माण लोग नहीं कराते हैं।

- ग्रामीण भारत में बनने वाले शौचालय शहरी तर्ज पर नहीं बनाये जाते, जिससे भूजल प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- इन दोषपूर्ण शौचालयों की बनावट के कारण भी लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं, जो एक बड़ी चुनौती है।
- खुले में शौच करने से कई गंभीर बीमारियों का जन्म होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण एशिया में बच्चों में खराब स्वास्थ्य का कारण खुले में शौच एवं पर्याप्त रूप से हाथ न धोना पाया गया है, फिर भी ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में लोग शौचालय को वरीयता नहीं प्रदान करते हैं।

सरकारी प्रयास

यद्यपि सरकार द्वारा किये जा रहे दावों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इस दिशा में अनेक चुनौतियाँ सामने खड़ी हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं जिसका वर्णन निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत किया जा सकता है-

- लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर व्यापक स्तर पर लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। इसे इंटेनसिव एजुकेशन कम्युनिकेशन (आईईसी) कहा गया है।
- लोगों तक संदेश पहुँचाने का सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ने पाया कि शौचालय का उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक हो रहा है। यह व्यवहार परिवर्तन का एक बड़ा साक्ष्य है।
- सरकार के लगभग 6 लाख स्वच्छाग्रही लोगों को नियमित शौचालय उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। इसका मकसद खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) को चिरस्थायी बनाए रखना है।
- इसके अलावा हर जिले में जिला प्रशासन द्वारा ओडीएफ सस्टेनएबिलिटी सेल बनाए गए हैं।
- स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियाँ बनाई गई हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि शौचालयों का इस्तेमाल करने की आदत बनी रहे और लोग लगातार शौचालयों का इस्तेमाल करें। साथ ही, दरवाजा बंद- भाग दो जैसे अभियान मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान घोषणा की कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में पाइप जलापूर्ति प्रदान करना होगा और यह ओडीएफ स्थिरता को और मजबूत करेगा।

खुले में शौच मुक्त का दर्जे का संभावित प्रभाव

जहाँ खुले में शौच मुक्त का दर्जा कागज पर एक उपलब्धि है, वहीं खुले में शौच मुक्त दर्जे का समय से पहले ऐलान का अपना प्रतिकूल परिणाम भी होता है, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- खुले में शौच मुक्त योजना के ऐलान के बाद, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय छूट उपलब्ध नहीं होती है, यहाँ तक कि योग्य परिवारों के लिए भी नहीं और इसीलिए दूसरी योजनाओं के जरिए फंड लाने की जरूरत होती है।
- कई इलाकों में कई लाभार्थियों को कागज पर शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें वित्तीय छूट नहीं मिल सकती है।
- जूनागढ़ जिले के मंगरोल ब्लॉक में जून-जुलाई 2017 में जुटाए गए गुणात्मक आंकड़ों के मुताबिक, करीब 3,000 घरों में शौचालय नहीं थे, लेकिन पूरे ब्लॉक को उससे काफी पहले खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। ऐसे में संभावित लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए पैसा नहीं मिल सका और वो इतने गरीब थे कि वो बिना आर्थिक मदद के शौचालयों का निर्माण नहीं कर सके।
- जहाँ सरकार ये कहती रहती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड इस अंतर को भर देंगे, वहीं साक्ष्य कहते हैं कि अभी लक्ष्य बहुत दूर है।
- इसके अलावा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड न तो सरकार केंद्रित है और न ही सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रण में है, जो उन्हें सिर्फ एक संभावित समाधान बनाती हैं जो हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता।

आगे की राह

हालाँकि खुले में शौच मुक्त का दर्जा सरकारों को अपनी उपलब्धि के काफी मौके देती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग दिखती है। ये हकीकत पूरे भारत में देखी जा सकती है, मुंबई से लेकर गुजरात के तटीय गांवों में घूमते हुए और महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में और ऐसे कई जगहों पर। दुर्भाग्यवश, विज्ञापनों, उपलब्धि गिनाते राजनीतिक भाषणों, सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए उदार सरकार के दावे गलत तस्वीर पेश करते हैं, जो भविष्य में स्वच्छ भारत मिशन के मकसद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- ऐसे अधिकारियों, कर्मियों व ठेकदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर देश को खुले में शौच से मुक्त दिखाकर सरकार से अपनी पीठ थपथपाई है। साथ ही यह संदेश भी दिया जाए कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों व आमलोगों के लिए चलाए जा रहे अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
- निर्माण किए गए शौचालयों की संख्या के आधार पर किसी भी गांव, जिला या राज्य को खुले में शौच मुक्त का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आधारभूत डेटा आमतौर पर दोषपूर्ण और अपर्याप्त पाया जाता है।
- भारत में खुले में शौच की समस्या का एकमात्र समाधान लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बावजूद, इसके स्वच्छ भारत मिशन के मूल्यांकन या ऑडिट में व्यावहारिक संकेतों की पूरी तरह अनुपस्थिति देखी गई है जो न सिर्फ परेशान करने वाली है, बल्कि खुले में शौच मुक्त के दर्जे की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती है।
- हालांकि, व्यवहार परिवर्तन प्रक्रियाओं और नतीजों को ट्रैक करने के लिए कई प्रॉक्सी-संकेतक लगाए जा सकते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की ज्यादा सच्ची तस्वीर लाएगा।
- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि खुले में शौच की परिघटना को पूरी तरह से समाप्त करना हो तो नये शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ उसके उपयोग और रख रखाव को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास : आरे जंगलों से पुनः गर्माती बहस

प्र. शहरी नियोजन में योजना बनाते समय यदि पर्यावरणीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए तो विकास के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 21 अक्टूबर तक मुंबई के 'आरे कॉलोनी' में अब और पेड़ नहीं काटेगी और न ही वहाँ कोई दूसरी गतिविधियाँ करेगी।

परिचय

- महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आरे कॉलोनी में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई को लेकर शुरू हुआ विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से मेट्रो डिपो बनाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने संबंधित याचिकाओं के खारिज होने के कुछ ही घंटे बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों ने कटाई का काम शुरू कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। बीएमसी वहाँ 1,200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। गौरतलब है कि आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2,700 पेड़ काटने की योजना है।

पर्यावरण और आर्थिक विकास

- आर्थिक विकास एक देश के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मुहैया करवा पाये जिससे वहाँ के निवासी गरीबी से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह का विकास आय में असमानता को कम करता है।

पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता

- शहरी नियोजन में योजना बनाते समय यदि पर्यावरणीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए तो विकास के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी भवन के निर्माण में या सड़क विस्तारीकरण में कोई वृक्ष बीच में आ रहा है तो वृक्ष को काटने की बजाय हमें योजना में परिवर्तन की संभावना पर विचार करना चाहिये। शहर बसाने या यातायात के सम्बन्ध में योजना बनाते समय वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर गौर किया जाना चाहिए।

पर्यावरण का महत्त्व

- मानव का अस्तित्व वनस्पति और जीव जंतु के अस्तित्व पर निर्भर है। हमारे आसपास वृक्ष, जलवायु एवं विभिन्न प्राकृतिक कारकों को हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है।
- जितना ज्यादा मात्रा में एक देश आर्थिक तरक्की करता है, उसके राजस्व कर में भी उतनी ही वृद्धि होती है और सरकार के बेराजगारी और गरीबी से जुड़ी सब्सिडी योजनाओं योजनाओं के खर्च में उतनी ही कमी आती है और सरकार अपने राजस्व को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कार्यों के लिए खर्च कर सकती है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण एक देश के आर्थिक उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आर्थिक पर्यावरण

- पर्यावरण को सामान्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा कृत्रिम एवं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में जल, वनस्पति, पशुधन, खनिज सम्पदा आदि शामिल हैं।
- प्राकृतिक वातावरण का हमारे सामाजिक व आर्थिक जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कृत्रिम एवं सामाजिक वातावरण का निर्माण हमारे सुखी एवं समृद्ध जीवन से है।

चुनौतियाँ

- प्राकृतिक संसाधनो के लगातार हो रहे उपभोग तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पर्यावरण संसाधनों की गुणवत्ता खराब हो जायेगी, जिससे ना सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। बल्कि इसके उत्पादन में लगे मजदूरों में भी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होंगी और इसके साथ यह उनके लिए भी काफी हानिकारक सिद्ध होगा, जिनके लिए यह बनाया जा रहा है।
- पर्यावरणीय लागत की तुलना में मौद्रिक लागत को अधिक महत्त्व देना अर्थात हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को कम महत्व (weightage) देते हैं।

आगे की राह

- जब अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि की क्षमता विकसित होती है तो कई नई चुनौतियाँ भी आती हैं। हमें आर्थिक वृद्धि तथा सतत विकास के नजरिये से यह निर्णय करना है कि दुर्लभतम संसाधनों का कैसे अनुकूलतम उपयोग होगा। कई ऐसे प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि ऐसी नीतियों की वजह से कुल मिलाकर मानव कल्याण घट भी सकता है। आर्थिक वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर आधारित होनी चाहिए और साथ ही विकास को पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित रखा जाना चाहिए। ■

2. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : अब तक की यात्रा

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "एनआरसी भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या का समाधान कर सकेगी?" अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) की अंतिम सूची जारी की गई। इस सूची में लगभग 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। विदित हो कि 31 जुलाई 2018 को जारी किए गए एनआरसी के ड्राफ्ट में 40.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे।

परिचय

- नागरिकता अधिनियम, 1955 (The Citizenship Act, 1955) में इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है। एनआरसी को 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें असम राज्य के प्रत्येक गांव में रहने वाले लोगों के नाम और संख्या दर्ज किये गए। फिलहाल इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें उन लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है, जो लोग असम में बांग्लादेश बनने के पहले (25 मार्च 1971 के पहले) आये हैं।

एनआरसी की जारी अंतिम सूची से उभरने वाले मुद्दे

- एनआरसी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उन 19 लाख लोगों से जुड़ा है, जिनके नाम अंतिम सूची में नहीं हैं।
- एनआरसी में नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों के पारदर्शी तरीके से विश्लेषण पर जोर दिया गया है, किन्तु दिलचस्प बात यह है कि जिस एनआरसी से घुसपैठ विवाद के खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, उससे राज्य में नई तनातनी की शुरूआत हो सकती है।
- एनआरसी की कई खामियाँ भी सामने आई हैं और इससे एक हद तक असम के लोगों का राज्य सरकार की मशीनरी पर भरोसा घटा है।
- बांग्लादेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसके पास संसाधनों की कमी है, ऐसे में वह इतनी बड़ी जनसंख्या को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उसने कहा है कि ये जनसंख्या उसके देश से आये लोगों की है।

बांग्लादेश की आशंका

- दक्षिण एशिया में भारत का सबसे विश्वस्त सहयोगी बांग्लादेश असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद से उनके संभावित प्रवाह को लेकर आशंकित है। बांग्लादेश के ऊपर पहले से ही दस लाख रोहिंग्या का भार है, ऐसे में वह और लोगों का भार नहीं झेल सकता।

लोगों के पास विकल्प क्या है

- केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि एनआरसी में जगह नहीं पाने का मतलब यह नहीं कि ऐसे लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण (Foreign Tribunal) के समक्ष अपील करनी होगी। इसके लिए असम में बड़ी संख्या में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है।

आगे की राह

- आज विश्व के समक्ष शरणार्थी समस्या एक विकट समस्या बन गयी है। दुनिया में करीब एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी राज्यविहिनता (Statelessness) को खत्म करना चाहती है। ऐसे में भारत के लिये हालिया स्थिति असहज करने वाली है। ■

3. भारत का शहरी नियोजन बनाम ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, 2019

प्र. भारत के अधिकांश शहर रहने योग्य नहीं है। इस कथन के विशेष संदर्भ में बताएँ कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष सुधार की आवश्यकता है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) ने लिवेबिलिटी सूचकांक (Liveability index) जारी किया, जिसमें भारत के दो सबसे बड़े शहर मुंबई और दिल्ली कुछ पायदान फिसल गए। गौरतलब है कि यह एक ग्लोबल सूचकांक है, जिसमें जीवनस्तर के आधार पर दुनिया के 140 शहरों की रैंकिंग की जाती है। इस साल की रैंकिंग में देश की राजधानी दिल्ली 6 पायदान गिरकर 118वें और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दो पायदान फिसलकर दिल्ली के बाद 119वें नंबर आ गयी।

परिचय

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की करीब 37.7 करोड़ आबादी शहरों में रहती है। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 59 करोड़ तक पहुंच जाएगी। शहरीकरण की इस तेज रफ्तार के कारण ही भारत सरकार 'स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट के तहत भारत के करीब 100 शहरों को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। इसके लिए करीब 7,060 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। सामान्य तौर से शहरीकरण शहरों और गाँवों के उस वृद्धि को दिखाता है, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के ओर अच्छे जीवन के तलाश में जाते हैं।

भारत के बड़े शहरों की स्थिति एवं उनका विश्लेषण

- ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में दिल्ली और मुंबई, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के शहरों के साथ निचले 25 प्रतिशत शहरों में शामिल हैं। इससे पता चलता है कि देश के इन दो सबसे बड़े शहरों को वहाँ रहने वालों को बेहतर जीवनस्तर मुहैया कराने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारे दो सबसे वाइब्रेंट ग्लोबल शहरों की यह हालत है तो देश के दूसरे शहरी क्षेत्रों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में आज जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस क्षेत्र में

देश की चुनौती का पता चलता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में खराब रैंकिंग से कई सवाल भी खड़े होते हैं।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन से सबक लेने की जरुरत

- शहर के पुराने इलाकों के विकास (सड़कों को चौड़ा करने सहित), कंजेशन यानी भीड़-भाड़ कम करने के लिए शहर के नॉन-कॉन्फॉर्मिंग यानी अंदरूनी इलाकों से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को कॉन्फॉर्मिंग यानी बाहरी इलाकों में शिफ्ट करना साथ ही पुरानी पाइपों की जगह नए और अधिक क्षमता के पाइप लगाने, सीवरेज और ड्रेनेज रिन्युअल पानी की आपूर्ति और सैनिटेशन, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेन और स्टॉर्म वॉटर ड्रेन (जल निकासी) में सुधार, रोड, हाइवे, एक्सप्रेस वे, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और मेट्रो प्रोजेक्ट की मदद से यातायात सुविधाओं में सुधार, पार्किंग की व्यवस्था, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, मिट्टी के कटाव को रोकना और उसे पहले जैसा बनाए रखना, भू-स्खलन को रोकना, जलाशयों के संरक्षण जैसी शर्तें तय की गई थीं।

सरकारी प्रयास

- भारत के अधिकांश शहरों की सही प्रकार से मैपिंग तक उपलब्ध नहीं है, बावजूद इसके इनके कायाकल्प करने में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने 100 शहरों के विकास पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करने की योजना बनायी है।

आगे की राह

- यह सूचकांक हमारी विकास प्रक्रिया पर एक बड़े प्रश्नचिह्न जैसा है। आधुनिक युग में विकास की एक बड़ी कसौटी शहर भी हैं। रहने लायक शहर एक देश की आर्थिक हैसियत के साथ-साथ सक्षम शासन तंत्र और उन्नत नागरिक समाज के प्रतीक भी होते हैं। अच्छे शहरीकरण के लिए यह जरूरी है कि वह योजनाबद्ध हों। ■

4. भारत-बांग्लादेश संबंध : अच्छे पड़ोसी का आदर्श उदाहरण

प्र. भारत के लिए बांग्लादेश के महत्त्व को बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि दोनों देशों के बीच संबंधों में कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने चार दिवसीय दौरे पर भारत आयीं इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच सात नए करार हुए हैं। इनमें तीन नयी परियोजनाएं भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण एलपीजी आयात योजना है जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाली एलपीजी का पूर्वोत्तर राज्यों में वितरण किया जाएगा।

परिचय

- भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, जिसमें भारत ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। 1972 में बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब-उर-रहमान ने भारत के साथ मित्रता और शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्त्व

- **भौगोलिक कारकः** बांग्लादेश का भूगोल बांग्लादेश के भू-राजनीतिक (जियो-पॉलिटिकल) महत्व को बढ़ाता है। भारत के लिए अगर पाकिस्तान मध्य एशिया में जाने का प्रवेश द्वार है तो बांग्लादेश पूर्वी एशिया जाने का द्वार।
- **आर्थिक कारकः** अर्थतंत्र ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बहुआयामी व्यापार, लेन-देन, क्रेडिट व्यवस्था, संयुक्त उद्यम, पारगमन सुविधाओं और परिवहन विकास को अपनाया गया है।
- **उत्तर-पूर्व राज्यों के विकास में:** भारत के उतर पूर्वी राज्यों के विकास में बांग्लादेश की अब महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। यह इलाका भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के काफी नजदीक है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारकः** तमाम विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबूत हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रीति रिवाज बंग्लादेश से मिलती जुलती हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

- बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से भारत-बांग्लादेश के बीच कई विवाद के विषय रहे हैं जिनमें से दो मुद्दें मुख्य हैं: बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता, एवं चीन के साथ सामरिक संबंध। इसके अलावा जल विवाद, बांग्लादेश को तीन बीघा कॉरिडोर का हस्तांतरण, असम व अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के उग्रवादियों को बांग्लादेश द्वारा शरण देने का मसला और हरकत-उल-जिहाद-इस्लामी जैसे आंतकवादी संगठनों को बांग्लादेश में प्रश्रय मिलना जैसे मुद्दे आदि।
- **अवैध प्रवासन एवं एनआरसी मुद्दाः** अवैध प्रवास दोनों देशों के बीच सबसे समस्यात्मक मुद्दा रहा है। सन् 1971 के बाद लाखों बांग्लादेशी प्रवासी (उनमें से अधिकांश अवैध) भारत में पड़ोसी राज्यों की सीमा पार कर आ गए।

चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव

- गौरतलब है कि चीन-बांग्लादेश संबंधों के कई पहलू हैं। दोनों देश रक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और जनता के बीच आपसी सम्पर्क जैसे संबंधों को साझा करते हैं। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को उनके आपसी रिश्तों की बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है।
- चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ बांग्लादेश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन, बांग्लादेश के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है।
- वहीं चीन, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी भी है और उनका आपसी व्यापार 10 बिलियन डॉलर का है। चीन, बांग्लादेश में विशेषकर विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश भी कर रहा है।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। दोनों देश विश्व पटल पर आर्थिक मोर्चे पर साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
- वर्तमान में भारत बांग्लादेश के 'सदाबहार मित्र' के रूप में उभरा है क्योंकि भारत का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ■

5. राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट : बजट 2019–20 के आलोक में

प्र. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'राज्य वित्तः वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' में कई चुनौतियों को उजागर करने के अलावा राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण भी किया है। रिपोर्ट में बतायी गयी इन चुनौतियों और सुझाये गये उपायों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'राज्य वित्तः वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' (State Finance: A Study of Budgets of 2019-20) नामक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गयी। इस विषय पर रिपोर्ट या अध्ययन को भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष जारी करता है, अर्थात यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त सूचना, विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता है।

परिचय

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'राज्य वित्तः वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' नामक रिपोर्ट में 2017-18 के वास्तविक आँकड़ों और 2018-19 के लिए संशोधित परिणामों (और अनंतिम खातों) की पृष्ठभूमि को देखते हुए 2019-20 के लिए बजट अनुमानों (Budget Estimate) की अंतर्निहित गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट राज्यों की मध्यम अवधि की राजकोषीय चुनौतियों को भी संबोधित करती है। इस रिपोर्ट में राज्यों की राजकोषीय चुनौतियों के अतिरिक्त राजकोष से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों का पिछले पाँच वर्षों के दौरान उधार (Debt) बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) की तुलना में 25 प्रतिशत हो गया है। इसका कारण राज्यों द्वारा अपने राजकोष का सही से प्रबंधन न किया जाना और अतार्किक सब्सिडियाँ उपलब्ध कराना है।
- पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) से राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit-GFD) का स्तर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM) के लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। हालाँकि राज्यों का जीएफडी एफआरबीएम की सीमा के अंतर्गत रहने का कारण उत्तम राजकोषीय प्रबंधन या अतिरिक्त कमाई नहीं रही है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्यों ने अपने पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure) में तेजी से कमी की है।
- केन्द्र सरकार अपने खर्च की पूर्ति करने हेतु विभिन्न 'उपकर और अधिभार' (Cess and Surcharges) को आरोपित करती है, किन्तु इन उपकरों एवं अधिभारों से प्राप्त 'राजस्व पूल' में राज्यों से किसी भी प्रकार हिस्सा साझा नहीं किया जाता है। इस स्थिति में राज्य सरकारों के पास वित्त की कमी रहती है। रिपोर्ट में आँकड़ा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार ने 'उपकर एवं अधिभार' से लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है जो कि केन्द्र सरकार के सकल राजस्व के लगभग 15 प्रतिशत राशि के बराबर है।
- केन्द्र सरकार ने 2017 में एन.के.सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों (Terms of References) में कहा है कि आयोग को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को धन आवंटन पर विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की 'संदर्भ शर्त' से 'राजस्व पूल' से राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्से में और कटौती होगी।

सुझाव

- सरकार को राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि राज्यों को बाध्य होकर पूँजीगत व्यय में कटौती न करनी पड़े। इसके लिए राजस्व प्राप्ति के टैक्स (कर) के क्षैतिज पहलू (Horizontal Aspect) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, अर्थात् सरकार को कर में ऐसे नीतिगत सुधार करने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय कर प्रणाली में शामिल हो सकें।
- कर का बोझ कुछ लोगों पर डालने से बचना चाहिए क्योंकि यह अंततः दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक ही होता है।
- सरकार को लगातार जीएसटी प्रणाली में सुधार करते रहने की आवश्यकता है ताकि इससे अपेक्षित राजस्व प्राप्त हो सके और कर चोरी की प्रवृत्ति को कम किया जा सके।

आगे की राह

- भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 'राज्य वित्तः वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' से स्पष्ट है कि राज्य सरकारों पर कई तरह के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, किन्तु ये ऐसे बादल हैं जिनसे कुछ व्यावहारिक एवं दूरगामी सोच से युक्त नीतियों के माध्यम से बचा जा सकता है। इस परिदृश्य में सरकार को करों के 'क्षैतिज पहलू' पर ध्यान देने के साथ-साथ अन्य संसाधनों को जुटाने की ओर भी उन्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि पूँजीगत खर्च में कटौती किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ■

6. भारत में सहकारी बैंकों का महत्त्व एवं चुनौतियाँ

प्र. सहकारी बैंकों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank- PMC Bank) में हुए घोटाले पर

कार्यवाही करते हुए उसे अगले 6 महीनों तक किसी भी प्रकार का कार्य न करने का आदेश दिया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह घोटाला करीब 7000 करोड़ का है। इस बैंक की 137 शाखाओं में 51 हजार सदस्य हैं, जिन्होंने बैंक में 11,617 करोड़ रुपये जमा किए हुए हैं।

परिचय

- सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं, जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। देश के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूँजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत किया जाता है।
- सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।

सहकारी बैंकों का महत्त्व

- सहकारी बैंक गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया है। केन्द्रीय सहकारी बैंक जमा को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए जमा धन पर साधारण दर से ब्याज भी देते हैं।
- सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक आवश्यक योजनाएँ भी बनाते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं।
- अपने इस विशेष उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सहकारी बैंक अपने सदस्यों को गैर सदस्यों की अपेक्षा कर्ज देने तथा उनके कृषि एवं उद्योग सम्बन्धी कार्यों में विशेष सुविधा प्रदान करते हैं।

सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर

- वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जबकि सहकारी बैंक सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं।
- वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के आधार पर की गयी है।
- प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार होता है, जबकि सहकारी बैंकों में केवल राज्य सहकारी बैंक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ

- सहकारी बैंकों एवं साख समितियों में वित्त की कमी एक मूल समस्या बनी हुई है। ये संस्थाएँ जनता से प्रत्याशित जमा आकर्षित नहीं कर पाई हैं।
- रिजर्व बैंक राज्यीय सहकारी बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है।
- इसी प्रकार नाबार्ड द्वारा भी इन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, किन्तु राज्यीय सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक इन सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं उठाते हैं।

आगे की राह

- देश में सहकारी बैंकों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है है। चूँकि आज इसके माध्यम से सरकार देश में बैंकिंग प्रणाली को जन-जन तक पहुँच पायी है, किंतु सहकारी बैंकों में आये दिन होते घोटालों को देखते हुए यह भी जरूरी है कि देश के सहकारी बैंकिंग ढाँचों में कुछ बुनियादी परिवर्तन किये जाएँ। ■

7. खुले में शौच से मुक्त भारत : एक विश्लेषण

प्र. शौचालय केवल मानवीय स्वास्थ्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। अहमदाबाद के साबरमती में आयोजित 'स्वच्छ भारत दिवस' कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई।

परिचय

- व्यक्ति जब शौच व दैनिक नित्य-क्रिया के लिए शौचालय का इस्तेमाल न करते हुए बाहर खुले मैदानों में, झाड़ियो में, जंगलों में, रेल की पटरियों के किनारे व प्राकृतिक जल स्रोतों के नजदीक जाता है, तब उसके इसी व्यवहार को "ओपन डेफिकेशन" (Open defecation) कहा जाता है। ओपन डेफिकेशन अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है, खुले में शौच या मलत्याग करना"।

वर्तमान स्थिति

- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2 अक्टूबर, 2014 को 38.7 फीसदी थी, वह अब बढ़कर 98 फीसदी से अधिक हो गयी है। सरकार ने बताया कि फिलहाल 27 राज्य, 601 जिले, 5,934 ब्लॉक, 2,46,116 ग्राम पंचायतें और 5,50,151 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

शौच मुक्त का दर्जा बनाम व्यावहारिकता

- जमीनी हकीकत यही है कि अभी भी हजारों शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है। गाँव की बड़ी आबादी खुले में शौच कर रही है। जिन शौचालयों का निर्माण किया भी गया है उनमें से कई का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में दो दलित बच्चों की हत्या इसलिए कर दी गई कि यह गाँव के पंचायत भवन के सामने शौच कर रहे थे यह मामला देश के खुले में शौच मुक्त करने के सरकार के दावे की हकीकत को बयां करता है। ठीक इस तरह झारखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें शौच के लिए गई महिला या युवती को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात हुई है।

चुनौतियाँ

- प्रत्येक गांव में खुले में शौच को रोकने के लिए निगरानी टीम का गठन भी किया गया है, लेकिन यह निगरानी टीम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही है। जिस कारण से खुले में शौच बदस्तूर जारी है।

- खुले में शौच मुक्त अभियान में गांवों के अधिकांश लोग सहयोग नहीं करते। गौरतलब है कि शौचालय के लिए आवंटित रकम देने के बाद भी शौचालयों का निर्माण लोग नहीं कराते हैं।
- ग्रामीण भारत में बनने वाले शौचालय शहरी तर्ज पर नहीं बनाये जाते, जिससे भूजल प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।

सरकारी प्रयास

- लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर व्यापक स्तर पर लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। इसे इंटेनसिव एजुकेशन कम्युनिकेशन (आईईसी) कहा गया है।
- लोगों तक संदेश पहुँचाने का सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है।
- हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ने पाया कि शौचालय का उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक हो रहा है। यह व्यवहार परिवर्तन का एक बड़ा साक्ष्य है।

खुले में शौच मुक्त का दर्जे का संभावित प्रभाव

- खुले में शौच मुक्त योजना के ऐलान के बाद, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय छूट उपलब्ध नहीं होती है, यहाँ तक कि योग्य परिवारों के लिए भी नहीं और इसीलिए दूसरी योजनाओं के जरिए फंड लाने की जरूरत होती है।
- कई इलाकों में कई लाभार्थियों को कागज पर शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें वित्तीय छूट नहीं मिल सकती है।

आगे की राह

- निर्माण किए गए शौचालयों की संख्या के आधार पर किसी भी गांव, जिला या राज्य को खुले में शौच मुक्त का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आधारभूत डेटा आमतौर पर दोषपूर्ण और अपर्याप्त पाया जाता है।
- भारत में खुले में शौच की समस्या का एकमात्र समाधान लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बावजूद, इसके स्वच्छ भारत मिशन के मूल्यांकन या ऑडिट में व्यावहारिक संकेतों की पूरी तरह अनुपस्थिति देखी गई है जो न सिर्फ परेशान करने वाली है, बल्कि खुले में शौच मुक्त के दर्जे की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण

चर्चा का कारण

1.1 कुपोषण को मापने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। यह सर्वेक्षण फरवरी 2016 और अक्टूबर 2018 के बीच किया गया।

1.2 गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत में कुपोषण की समस्या इतनी व्यापक और जटिल है कि इससे निपटना आसान नहीं है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

2.1 सर्वेक्षण में पता चला कि 5-9 वर्ष आयु वर्ग के करीब 10 प्रतिशत बच्चे और 10-19 वर्ष की आयु के किशोर प्री-डायबिटिक (Pre-diabetic) हैं।

2.2 इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत बच्चे अधिक वजन (Over weight) एवं 5 प्रतिशत बच्चे रक्तचाप (Blood Pressure) से पीड़ित थे

2.3 इस सर्वेक्षण में स्कूल जाने वाले बच्चों में मोटापे और कुपोषण के सह-अस्तित्व (Co-existence) का पहली बार साक्ष्य एकत्रित किया गया है।

2.4 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के पाँच बच्चों में से एक बच्चा बौनेपन (Stunted) का शिकार है।

2.5 तमिलनाडु और गोवा में उन किशोरों की सबसे अधिक संख्या थी जो मोटापे या अधिक वजन से पीड़ित थे।

2.6 गौरतलब है कि भारत में मंत्रालय ने कुपोषण को मापा जिसमे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दर्ज की गई, यह मूत्र और रक्त के नमूने एकत्र करके किया गया था साथ ही इसमें बच्चों और किशोरों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और गुर्दे की कार्यक्षमता जैसे गैर-संचारी रोगों का भी विवरण शामिल किया गया है।

2.7 5-9 और 10-19 वर्ष के एक चौथाई बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से पतले थे। गौरतलब है कि कुल 1.12 लाख बच्चों और किशोरों (0-19 वर्ष) की ऊंचाई और वजन माप के लिए सर्वेक्षण किया गया।

भारत सरकार के प्रयास

3.1 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3.2 गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जनवरी, 2017 में शुरू किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए सीधे उनके खाते में उक्त सहायता राशि भेजी जाती है।

3.3 पोषण अभियान : (POSHAN Prime Ministers Overarching Scheme for Holistic Nutrition) को मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में लॉन्च किया गया था।

3.4 इस अभियान का उद्देश्य, गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चो के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य बच्चों, महिलाओं में खून की कमी (अनीमिया) को दूर करना भी है।

3.5 यह महिला व बाल विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आँगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मनरेगा से जुड़ा है।

3.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा को उसकी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर वर्ग के लिए सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन का कानूनी अधिकार प्राप्त हो सके।

3.7 मध्याह्न भोजन योजना: मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक आहार भोजन के रूप में दिया जाता है।

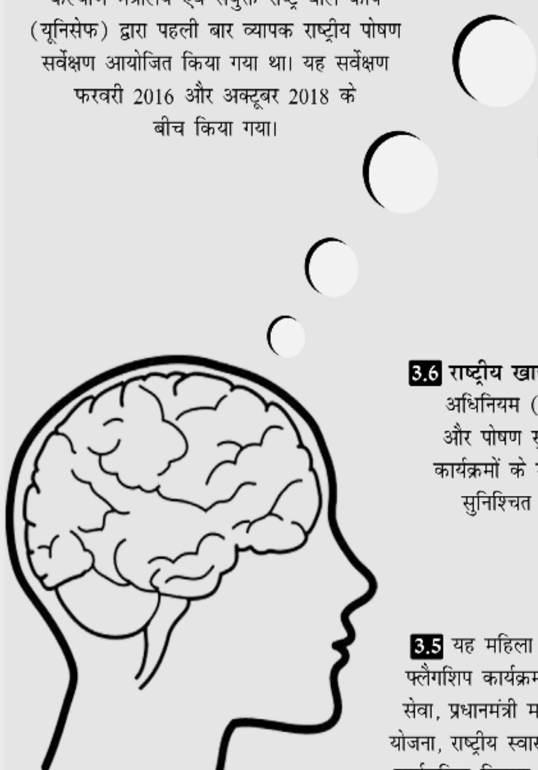

साइबरस्टॉकिंग एवं डिजिटल एब्यूज

सन्दर्भ

1.1 पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल होते भारत में साइबरस्टॉकिंग (Cyberstalking), साइबर अपराध और साइबर बुलिंग जैसे मामले बढ़े हैं।

ऐसे मामलों की संख्या क्यों बढ़ी

2.1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जानकारी साझा न करने अर्थात् पहचान की गोपनीयता के कारण दोषी का पता नहीं लग पाता है। इसके कारण नागरिकों को ट्रोल और बदनाम किये जाने के बावजूद कोई कानूनी सहायता नहीं हो पाता है।

साइबरस्टॉकिंग एवं सजा का प्रावधान

3.1 ऑनलाइन माध्यम से की गयी छेड़खानी को साइबरस्टॉकिंग कहा जाता है अर्थात् जब ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके किसी को परेशान करने के लिये ई-मेल या मैसेज भेजा जाता है तो उसे साइबरस्टॉकिंग के नाम से अभिहित किया जाता है।

3.2 इसमें इंटरनेट के जरिए किसी की गतिविधियों पर नजर रखना, उस पर झूठे इल्जाम लगाना, उसे धमकी देना, उसकी पहचान चुरा लेना, उसके डेटा या उपकरण के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, एब्यूजिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, अग्रेशन आदि शामिल है।

3.3 इन हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाना ही 'साइबर स्टॉकिंग' कहलाता है। ऐसे अपराधों के लिए इंटरनेट के साथ-साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी 'स्टॉकिंग' ही कहलाता है।

3.4 साइबर स्टॉकिंग की समस्या के सबसे आसान शिकार बच्चों एवं महिलाओं को बनना पड़ता है क्योंकि यह वर्ग सर्वाधिक सुभेद्य है।

डिजिटल एब्यूज क्या है

4.1 डिजिटल एब्यूज (Digital Abuse) का अभिप्राय लिख कर सन्देश भेजना एवं सोशल नेटवर्किंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसी को धमकाने, परेशान करने, डाँटने या डराने के लिये किये जाने से है।

साइबर बुलिंग क्या है

5.1 साइबर बुलिंग दो शब्दो से मिलकर बना है जिसमे साइबर मतलब इंटरनेट कम्प्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी और बुलिंग का मतलब परेशान करना, भयभीत करना या डरा धमका कर काम करवाना। एक धमकाने वाला व्यक्ति दूसरों को धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चौट रूम आदि का उपयोग कर सकता है।

साइबर अपराध क्या है

6.1 साइबर अपराध ऐसे गैर-कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है।

6.2 ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है।

क्या कहता है कानून

7.1 अगर कोई अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कोई आपत्तिजनक संदेश या सामग्री भेजता या प्रकाशित करता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचता है तो यह एक दंडनीय अपराध है।

7.2 यह अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 72 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के मुताबिक यदि कोई किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक करता है या फिर कोई किसी के गोपनीय मेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब या अन्य निजी जानकारी को अनैतिक व गैर कानूनी रूप से उसकी सहमति के बिना दूसरों के साथ साझा कर देता है तो उसे 2 साल की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

7.3 इसके अतिरिक्त साइबर स्टॉकिंग एक्ट 354 डी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराधी यदि पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा व जुर्माना और दोबारा यही अपराध करने पर उसे पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

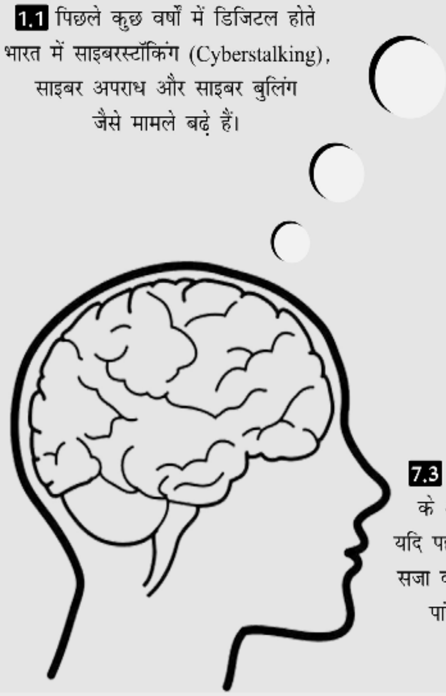

रणनीतिक विनिवेश

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सरकार ने चुने गए सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) की नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

1.2 इसके तहत वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए शीर्ष एजेंसी बनाया गया है।

आवश्यकता क्यों

2.1 यह कदम रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसमें सार्वजनिक उपक्रम के संबंद्ध मंत्रालय की भूमिका को कम किया गया है क्योंकि आमतौर पर मंत्रालयों में उनके उपक्रमों में बड़ी हिस्सेदारी बिक्री को लेकर अनिच्छा रहती है।

2.2 रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया दो चरणों की हो सकती है। पहले चरण में किसी उपक्रम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि व्यक्त की जा सकती है और दूसरे तथा अंतिम चरण में उपक्रम के लिए वित्तीय बोली लगाई जा सकती है। रणनीतिक बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उपक्रम के बारे में तमाम जानकारी रखी जायेगी।

2.3 सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार के उद्योग जगत को करों में कटौती के रूप में 1.45 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देने के बाद विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना और भी अहम हो जाता है।

2.4 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को GDP के 3.3% की सीमा में रखने के लिये भी विनिवेश से राशि जुटाना सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण है।

2.5 अब तक के अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि सामान्य तौर पर प्रशासनिक मंत्रालयों का रुख अपने अधीन आने वाले पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को लंबा खींचने पर अधिक रहता है।

2.6 इससे विनिवेश की प्रक्रिया लंबे समय तक टलती रहती है। इससे सरकार को विनिवेश के अपेक्षित नतीजे प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी।

रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया

3.1 आमतौर पर रणनीतिक बिक्री में दो स्तर की निविदा प्रक्रिया अपनायी जाती है। पहली में एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट या निविदा भरने की इच्छा का आवेदन होता है और इसके बाद वित्तीय निविदा होती है जिसमें हिस्सेदारी की बोली लगायी जाती है।

3.2 इससे पूर्व निवेशक समूहों के साथ बैठकों और रोड शो के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है।

3.3 रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान का काम भी नीति आयोग को सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर करना होगा। अभी तक नीति आयोग के पास ही रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी थी।

विनिवेश और रणनीतिक बिक्री

4.1 सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) कहलाती है। कई कंपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है। आम तौर पर इन कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं।

4.2 सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशकों को उस PSU में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है।

4.3 रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है अर्थात् स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4.4 इस प्रकार कहा जा सकता है कि साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री एक प्रकार से निजीकरण है।

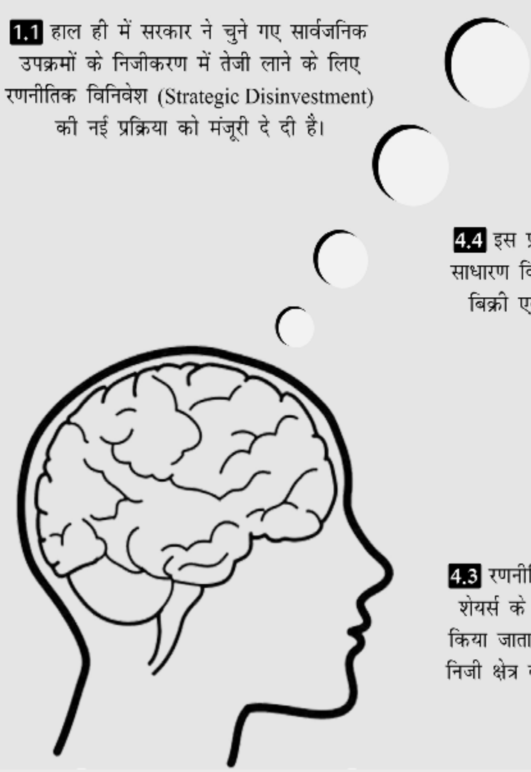

अमेरिका का काट्सा कानून

क्या है एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम

2.1 एस-400 मिसाइल सिस्टम, एस-300 का अपडेटेड वर्जन है। यह जहाँ तैनात होता है वहाँ से 400 किलोमीटर की दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक सुरक्षा प्रदान करता है।

2.2 यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट एफ-35 को भी गिरा सकता है।

2.3 वहीं, 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एकसाथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है।

2.4 एस-400 रक्षा प्रणाली एक साथ 100 हवाई खतरों को पहचान कर इन पर निशाना लगा सकती है। इसकी मदद से लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन जैसे कई हवाई खतरों को पहचानकर उन्हें मार गिराया जा सकता है।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत ने कहा है कि वह रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

1.2 गौरतलब है कि भारत ने रूस से पिछले साल ही एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार किया है। हालांकि, अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कई बार भारत पर काट्सा (CAATSA) कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है।

क्या है काटसा कानून

3.1 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2017 में 'काट्सा' पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने अगस्त 2017 में रूस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 'काट्सा' नाम दिया गया।

3.2 इसके तहत अमेरिका रूस से बड़ा रक्षा समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है।

3.3 काट्सा (CAATSA) के तहत रूस से हथियार सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट देने का अधिकार केवल अमेरिका के ही पास है।

3.4 दरअसल, यह कानून ट्रंप प्रशासन को रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें निशाना बनाने की ताकत देता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने हाल ही में सीएएटीएसए का प्रयोग कर एस-400 की खरीद को लेकर चीनी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाए हैं।

भारत की हथियार खरीद पर प्रभाव

4.1 यदि काट्सा प्रभाव में आता है, तो यह रूस से भारत की हथियारों की खरीद को सीधे प्रभावित करेगा।

4.2 भारत ने पहले ही एस -400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ अन्य परियोजनाएं जैसे 1135.6 फ्रिगेट और के 226 टी हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी स्कैनर के तहत आएंगे।

4.3 काट्सा भारत-रूस संयुक्त रक्षा उपक्रमों को प्रभावित कर सकता है। शीर्ष भारत-रूस संयुक्त उद्यम हैं- ब्रह्मोस एयरोस्पेस, इंडो रूसी विमानन लिमिटेड और मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट।

4.4 भारतीय विनिर्माण संस्थाएं रक्षा उपकरणों के लिए आम तौर पर विभिन्न रूसी कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स आयात करती हैं। इससे कच्चे माल, घटक, स्पेयर पार्ट्स और अनुसंधान उत्पाद भी काट्सा से प्रभावित होंगे।

4.5 यह अमेरिकी सरकार द्वारा अनुमोदित व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही काट्सा की धारा 235 के अनुसार स्वीकृत व्यक्ति के साथ निकटता वाले व्यक्तियों को वीजा देने से इनकार किया जा सकता है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को आगामी संसद सत्र में फिर से लाया जाएगा। हालांकि, पूर्वोत्तर के राज्यों की चिंताओं का दूर करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े विशेष कानून को नहीं छुआ जाएगा।

विधेयक में क्या है

2.1 इस विधेयक द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले 6 धर्मों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी।

2.2 ये धर्म हैं- हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई।

2.3 इन देशों के लोगों को नागरिकता के लिए सात साल तक भारत में रहना सिद्ध करना होगा। नागरिकता देने के लिए उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

2.4 इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के शोषण होते हैं और इन लोगों के पास रहने के लिए भारत के अलावा कोई देश नहीं है।

विधेयक का विरोध और तर्क

3.1 नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विवाद और विरोध इसलिये रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि ये भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है।

3.2 विधेयक पर विचार करने के लिए बनी सयुंक्त संसदीय समिति में इस बारे में आम सहमति नहीं बन पाई और विपक्षी दलों ने नागरिकता को धर्म से जोड़ने का विरोध किया।

3.3 इसके अलावा ये तर्क भी दिया गया कि ये विधेयक असम समझौते का भी उल्लंघन है, जिसके तहत 1971 के बाद भारत आने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती।

3.4 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15(1) ऐसा करने की भी इजाजत नहीं देता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण करने का मैंडेट देता है।

3.5 विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है कि एक जैसी परिस्थितियों में एक सा कानून। ये औपचारिक समानता (formal equality) की बजाय, तात्विक समानता (substantive equality) को तरजीह देता है।

3.6 अनुच्छेद 15(1) भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत राज्य को नहीं देता।

नागरिकता के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

4.1 नागरिकता प्रदान करने के मुख्यत: दो सिद्धांत विश्वभर में चलते हैं। पहला ज्यूस सैंग्यूनिस (Jus sanguinis) इसके मुताबिक नागरिकता नस्ल या रक्त सम्बन्ध के आधार पर दी जाती है।

4.2 माता-पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता देना इसी का रूप है और दूसरा ज्यूस सोलि (Jus soli) यानि जमीन के आधार पर जो कि एंग्लो-अमेरिकन कांसेप्ट है।

4.3 नागरिकता के इस सिद्धांत को मानने वाले देश अपनी भूमि पर पैदा होने वाले हर बच्चे को नागरिकता प्रदान करते हैं।

भारत में नागरिकता कानून

5.1 नागरिकता कानून 1955 के तहत भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी। लेकिन 2004 में नागरिकता कानून में संशोधन के बाद भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता या पिता में से एक जन्मजात भारतीय नागरिक हो। यानी अब जन्मभूमि के अलावा रक्त संबंध भी भारत में नागरिकता का आधार है।

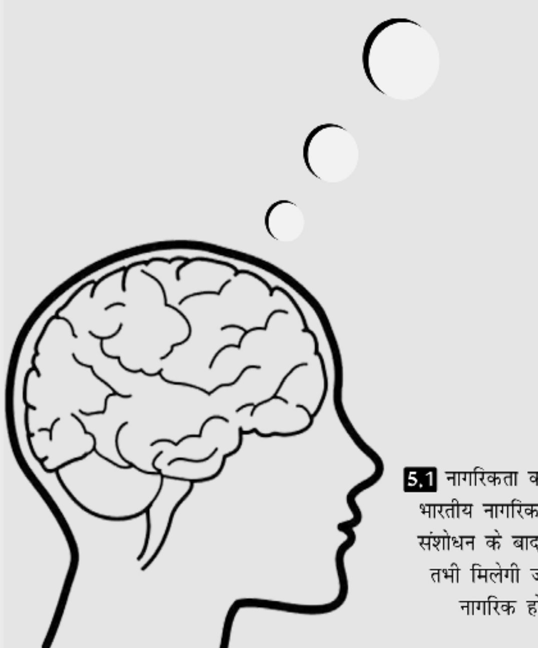

मोजैक अभियान

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में ग्लोवल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसे मोजैक अभियान (MOSAiC Expedition) नाम दिया गया है।

1.2 गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर आर्कटिक महासागर में देखने को मिल रहा है।

पृष्ठभूमि

2.1 कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते खतरे से आर्कटिक की प्राकृतिक हिम संपदा के पूरी तरह पिघलकर समाप्त हो जाने की आशंका जतायी थी।

2.2 जलवायु परिवर्तन से इस महासागर के ज्यादातर इलाकों से बर्फ तेजी से पिघल रही है। पिछले दशक की अपेक्षा इस दशक में आर्कटिक में बर्फ का क्षेत्रफल तेजी से घटा है।

2.3 उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की सबसे मोटी परत खतरनाक तरीके से कमजोर हो रही है। वैज्ञानिकों के बीच आर्कटिक महासागर को ग्लोबल वॉर्मिंग का केन्द्र बिन्दु माना जाता है।

मौजैक अभियान क्या है

3.1 मोजैक अभियान 390 दिन का है। इस अभियान में कुल 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। सितंबर में जर्मनी की ने बर्फ तोड़ने वाली मशीन (Ice Breaker) पोलरर्स्टन (Polerstern) को नॉर्वे के ट्रोम्सो से रवाना किया गया। इस अभियान में भारत के विष्णुनंदन भी शामिल हैं, जो ध्रुवीय अनुसंधानकर्त्ता हैं।

3.2 अभियान के दौरान हर दिन 7 किमी की गति से बर्फ की खुदाई की जाएगी। इसके तहत 4 किमी नीचे तक के बर्फ की माप ली जाएगी।

3.3 मोजैक अभियान का फोकस एरिया पहले से तय है। अध्ययन में बर्फबारी, यूरोप में बढ़ती ग्रीष्म लहर (Heat waves) और बर्फ के पिघलने और जमने की दर जैसे बिंदुओं पर फोकस रहेगा।

3.4 इस अभियान के दौरान पोलरर्स्टन कुल 2500 किमी की दूरी तय करेगा। पोलरर्स्टन प्राकृतिक तरीके (जैसे बर्फ पानी के ऊपर से तैरती है, उसी प्रकार चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेगा।)

3.5 इसके बाद ये उन वायुमंडलीय महासागरीय परिवर्तनों का निरीक्षण करेगा जो बर्फ के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। साथ ही मौसम के बिगड़ने और बनने में सहायक होते हैं।

अभियान का उद्देश्य

4.1 इसके तहत वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर के अलग-अलग हिस्से का अध्ययन करेंगे जिससे वहाँ की जलवायु प्रणाली की समझ और बेहतर होगी।

4.2 इस मिशन से यह भी स्पष्ट होगा कि जलवायु परिवर्तन किस तरह इस क्षेत्र और समूचे विश्व को प्रभावित कर रहा है।

4.3 इस मिशन के तहत वातावरण, महासागर, समुद्री बर्फ, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा।

आर्कटिक महासागर

5.1 धरती के उत्तरी ध्रुव के आस पास के क्षेत्र यानी आर्कटिक वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक कहा जाता है।

5.2 यह पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग पर फैला है। आर्कटिक क्षेत्र के तहत धरती का उत्तरी ध्रुव, ध्रुव के आसपास का आर्कटिक या उत्तरी ध्रुवीय महासागर और इससे जुड़े आठ आर्कटिक देशों-कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड,नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैण्ड के भूखंड शामिल हैं।

5.3 आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। और शीतकाल के दौरान लगभग पूर्ण रूप से बर्फ से ढक जाता है इस महासागर का तापमान एवं लवणता यानी खारा पानी मौसम के अनुसार बदलता रहता है।

5.4 आर्कटिक महासागर की औसत लवणता अन्य महासागरों की अपेक्षाकृत सबसे कम है।

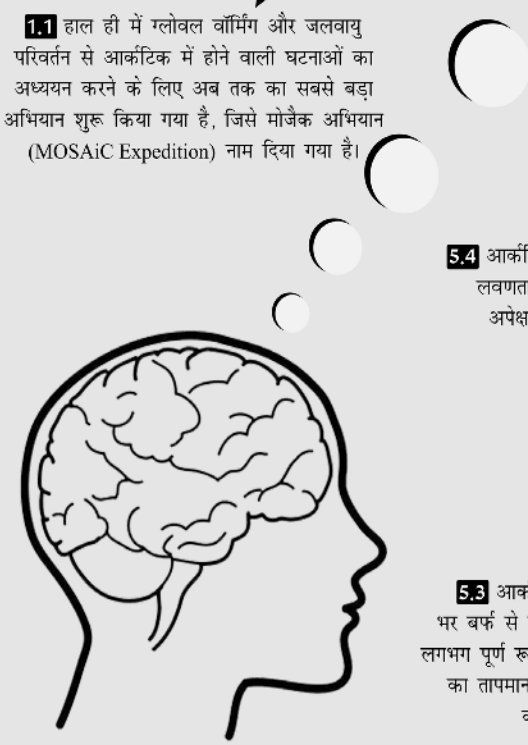

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नीति आयोग ने अपना पहला स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Inden) जारी किया है, जिसमे पता चला है कि देश के राज्यों में स्कूली शिक्षा में काफी असमानता है।

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

2.1 इस रिपोर्ट का नाम 'द सक्सेस ऑफ आवर स्कूल्स-स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' है। यह रिपोर्ट स्कूल जाने वाले बच्चों के सीखने के परिणामों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सूचकांक पर आधारित है।

2.2 नीति आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकल्पित तथा डिजाइन किये गए शिक्षा गुणवत्ता के प्रमुख डोमेन के आधार पर स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है।

2.3 सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के फोकस को निवेश (Input) से परिणाम (Output) की ओर स्थानांतरित करने के साथ ही निरंतर वार्षिक सुधारों के लिये मानक प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार, सर्वोत्तम साधनों को साझा करना तथा राज्य के नेतृत्व वाले नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

2.4 एसईक्यूआइ का लक्ष्य नीतिगत सुधारों को चलाना है जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लायेगा। सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता की स्थिति की नियमित तथा पारदर्शी समीक्षा के रूप में काम करेगा।

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

3.1 इस सूचकांक में स्कूलों को कई मानकों के आधार पर स्कोर दिया गया है। उन स्कोरों के आधार पर केरल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पर है। केरल को इस इंडेक्स में 76.63 स्कोर मिला है।

3.2 72.86 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान और 69.65 स्कोर पाकर कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश साबित हुआ है जिसको सिर्फ 36.42 स्कोर मिला है।

3.3 जम्मू-कश्मीर को 41.06, पंजाब को 41.14 और बिहार को 42.05 स्कोर मिला है। छोटे राज्यों में 68.76 स्कोर के साथ टॉप पर मणिपुर और 26.64 स्कोर के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे फिसड्डी है।

3.4 चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेशों में 82.9 स्कोर के साथ टॉप पर है जबकि दिल्ली का स्कोर 48.96 है।

3.5 इंडेक्स से यह भी पता चला है कि प्राथमिक स्तर पर दाखिले में गिरावट आई है जो चिंताजनक है। इंडेक्स के मुताबिक, 20 बड़े राज्यों में से 11 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले में गिरावट आई है।

3.6 सबसे बड़ी गिरावट 2015-16 और 2016-17 के बीच में झारखंड में देखी गई है। वहां 10.3 फीसदी पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। सेकेंड्री लेवल पर 20 सबसे बड़े राज्यों में से 8 में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था।

पुस्तकालय और कंप्यूटर शिक्षा

4.1 पुस्तकालय और कंप्यूटर शिक्षा तक पहुंच के मामले में राज्यों में बड़ी असमानता देखी गई है। केरल में प्राथमिक स्तर पर 49.56 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर की मदद से शिक्षा मुहैया कराई जा रही है जबकि बिहार में यह आंकड़ा सिर्फ 2.5 फीसदी है।

4.2 उत्तर प्रदेश में 4.99 फीसदी, मध्य प्रदेश में 4.14 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 4.12 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 3.98 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 3.94 फीसदी, और झारखंड में 2.86 फीसदी।

4.3 इसके अलावा 20 सबसे बड़े राज्यों में से यूपी, बिहार, राजस्थान, असम और जम्मू-कश्मीर ऐसे पांच राज्य हैं जहां 80 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय, रीडिंग रूम या बुक बैंक की सुविधा नहीं है।

4.4 गणित जैसे अहम विषय में पंजाब में क्लास 8 में सबसे कम औसत स्कोर था। राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कोर दर्ज किया गया। इस मामले में राजस्थान का भी प्रदर्शन सही नहीं कहा जा सकता है जिसका औसत स्कोर सिर्फ 57 है। दिल्ली का औसत 32 है जो सिर्फ पंजाब (31) और पुडुचेरी (31) से ही बेहतर है।

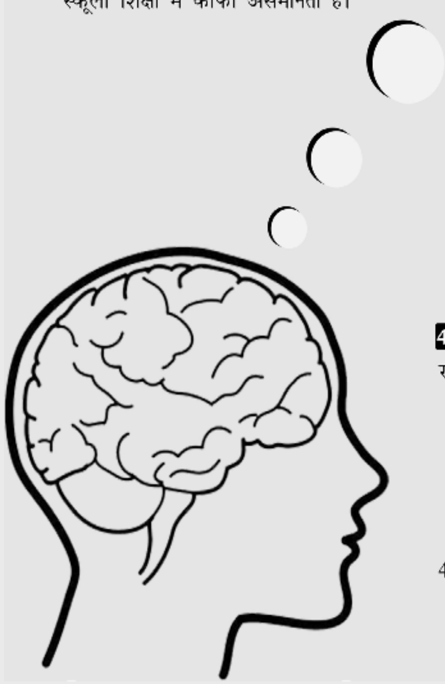

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण

प्र. राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस सर्वेक्षण में पता चला कि 5-9 वर्ष आयु वर्ग के करीब 10 प्रतिशत बच्चे और 10-19 वर्ष की आयु के किशोर प्री-डायबिटिक (Pre-diabetic) हैं।
2. इस सर्वेक्षण में स्कूल जाने वाले बच्चों में मोटापे और कुपोषण के सह-अस्तित्व (Co-existence) का पहली बार साक्ष्य एकत्रित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः कुपोषण को मापने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। यह सर्वेक्षण फरवरी 2016 और अक्टूबर 2018 के बीच किया गया। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत में कुपोषण की समस्या इतनी व्यापक और जटिल है कि इससे निपटना आसान नहीं है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

2. साइबरस्टॉकिंग एवं डिजिटल एब्यूज

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डिजिटल एब्यूज (Digital Abuse) का अभिप्राय लिख कर सन्देश भेजना एवं सोशल नेटवर्किंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसी को धमकाने, परेशान करने, डाँटने या डराने के लिये किये जाने से है।
2. साइबर अपराध ऐसे गैर-कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल होते भारत में साइबरस्टॉकिंग (Cyberstalking), साइबर अपराध और साइबर बुलिंग जैसे मामले बढ़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जानकारी साझा न करने अर्थात् पहचान की गोपनीयता के कारण दोषी का पता नहीं लग पाता है। इसके कारण नागरिकों को ट्रोल और बदनाम किये जाने के बावजूद कोई कानूनी सहायता नहीं हो पाता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. रणनीतिक विनिवेश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में सरकार ने चुने गए सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) की नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।
2. रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया दो चरणों की हो सकती है। पहले चरण में किसी उपक्रम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि व्यक्त की जा सकती है और दूसरे तथा अंतिम चरण में उपक्रम के लिए वित्तीय बोली लगाई जा सकती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में सरकार ने चुने गए सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) की नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए शीर्ष एजेंसी बनाया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

4. अमेरिका का काट्सा कानून

प्र. काट्सा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. काट्सा कानून के तहत अमेरिका रक्षा समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
2. काट्सा (CAATSA) के तहत रूस से हथियार सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट देने का अधिकार केवल अमेरिका के ही पास है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2017 में 'काट्सा' पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने अगस्त 2017 में रूस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 'काट्सा' नाम दिया गया। इसके तहत अमेरिका रूस से बड़ा रक्षा समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल, यह कानून ट्रंप प्रशासन को रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें निशाना बनाने की ताकत देता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

5. नागरिकता (संशोधन) विधेयक

प्र. नागरिक (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस विधेयक द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले 6 धर्मों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी।
2. ये धर्म हैं- हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, पारसी और ईसाई।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः इस विधेयक द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले 6 धर्मों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी। ये धर्म हैं- हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। इन देशों के लोगों को नागरिकता के लिए सात साल तक भारत में रहना सिद्ध करना होगा। नागरिकता देने के लिए उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

6. मोजैक अभियान

प्र. मोजैक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन से अंटार्कटिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मौजैक अभियान प्रारंभ किया गया है।
2. इसके तहत 10 किलोमीटर के नीचे तक के बर्फ की माप ली जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसे मोजैक अभियान (MOSAiC Expedition) नाम दिया गया है। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते खतरे से आर्कटिक की प्राकृतिक हिम-संपदा के पूरी तरह पिघलकर समाप्त हो जाने की आशंका जतायी थी। मोजैक अभियान 390 दिन का है। इस अभियान में कुल 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

7. स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस सूचकांक में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
2. दमन एवं दीव केन्द्र शासित प्रदेशों में 82.9 स्कोर के सात शीर्ष पर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः इस सूचकांक में स्कूलों को कई मानकों के आधार पर स्कोर दिया गया है। उन स्कोरों के आधार पर केरल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पर है। केरल को इस इंडेक्स में 76.63 स्कोर मिला है। 72.86 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान और 69.65 स्कोर पाकर कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश साबित हुआ है जिसको सिर्फ 36.42 स्कोर मिला है। चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेशों में 82.9 स्कोर के साथ शीर्ष पर है जबकि दिल्ली का स्कोर 48.96 है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस केन्द्रीय मंत्रालय ने 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' -2019 की स्थापना की है?

- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

2. हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 'हिमविजय' युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया?

- अरुणाचल प्रदेश

3. हाल ही में किस सरकार ने 'मो सरकार' अभियान लॉन्च किया है?

- ओडिशा

4. हाल ही में किस राज्य ने बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जागिरी अभियान लॉन्च किया है?

- उत्तराखण्ड

5. हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 'सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर' अवार्ड से सम्मानित किया गया?

- सचिन तेंदुलकर

6. हाल ही में प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किस शहर में किया गया?

- नोएडा

7. हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में गंगा और यमुना नदी को जोड़ने वाली प्राचीन नदी की खोज की है?

- उत्तर प्रदेश

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संक्षिप्त परिचय देते हुए, इसकी आवश्यकता एवं लक्ष्य पर प्रकाश डालें।

2. भारत के आर्थिक व पर्यावरणीय हितों के संरक्षण के लिए प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम आवश्यक है। चर्चा करें।

3. वन अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि क्या यह अधिनियम वंचित वर्ग के रूप में वनवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा?

4. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाये गए अधिनियम का वर्णन करें। साथ ही जस्टिस वर्मा समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों को भी रेखांकित करें।

5. एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

6. मीडिया को सशक्त बनाने में सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

7. भारतीय न्याय प्रणाली के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. स्वच्छ रेलवे स्टेशन

- हाल ही में रेलमंत्री पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची जारी की। इसके मुताबिक, जयपुर रेलवे स्टेशन देश का सबसे स्वच्छ स्टेशन है। इसमें दूसरे पर जोधपुर और तीसरे पर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन काबिज है।
- राजस्थान के इन तीन रेलवे स्टेशनों ने देश के 720 स्टेशनों को पीछे छोड़ा है। शीर्ष तीन रेलवे जोन में उत्तरी पश्चिमी रेलवे पहले स्थान पर रहा है। वहीं, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।
- जयपुर को कुल मिलाकर 931.75 और जोधपुर को 927.19 अंक मिले। हालांकि सिटीजन फीडबैक में जोधपुर ने जयपुर के 332.15 की अपेक्षा 332.23 अंक हासिल किए। लेकिन, जोधपुर प्रोसेस एव्यूलेशन में 4 अंक से पिछड़ गया और इसी कारण जोधपुर देश भर में अपने पहले नंबर की रैंक गंवा बैठा। प्रोसेस एव्यूलेशन में यह देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की क्या आधारभूत सुविधाएँ हैं और इनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है।
- रेलवे ने पहली बार स्वच्छता सर्वे रैंकिंग में उपनगर स्टेशनों को भी शामिल किया। देशभर के 190 उपनगर स्टेशन की रैंकिंग में मुंबई का अंधेरी स्टेशन टॉप पर रहा। जबकि दूसरे पायदान पर विरार और तीसरे पायदान पर नयागांव स्टेशन रहा है। रेलवे ने यह सर्वेक्षण थर्ड पार्टी से पार्टी कराया था।

2016 से जारी है यह क्रम

- रेलवे 2016 से हर वर्ष स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची जारी कर रहा है। पहले इसमें 407 रेलवे स्टेशन को शामिल किया जाता था। इस बार इसकी संख्या बढ़ाकर 720 की गई है। इस बार उपनगरों के रेलवे स्टेशनों को भी पहली बार शामिल किया गया था। स्वच्छता के सर्वेक्षण में हरियाली के लिए किए गए प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। ■

2. इक्वाडोर जनवरी 2020 में ओपेक से होगा अलग

दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जनवरी 2020 के शुरू में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से अलग हो जाएगा। हाल ही में इक्वाडोर के ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा, "सरकार ने एक जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता को समाप्त करने का फैसला लिया है।"

मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राजकोषीय स्थिरता से संबंधित आंतरिक मुद्दों तथा चुनौतियों के साथ-साथ सरकारी खर्चों में कटौती और राजस्व बढ़ाने के उदेश्य से लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इक्वाडोर 1973 में ओपेक में शामिल हुआ था। विशाल सदस्यता शुल्क और संगठन द्वारा अपना उत्पाद अंश बढ़ाने से इनकार करने के कारण 1992 में यह इससे बाहर निकल गया था, लेकिन 2007 में पुनः इसमें शामिल हो गया था

यह देश क्रूड उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है जो बदले में देशों की आय में वृद्धि करता है। कई अवसरों पर, देश ने ओपेक द्वारा तय किए गए अपने आउटपुट कोटा को तोड़ दिया है। यह उपाय सार्वजनिक खर्च को कम करने और नई आय उत्पन्न करने के लिए इक्वाडोर की योजना के अनुरूप है।

ओपेक

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक में 14 सदस्य राष्ट्र हैं। मोहम्मद बरकिंडो ओपेक के महासचिव हैं। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। ■

3. रसायन का नोबेल पुरस्कार

- नोबेल फाउंडेशन ने साल 2019 के लिए रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की नाम की घोषणा कर दी है। यह सम्मान अमेरिका के जॉन बी. गुडइनफ, इंग्लैंड के एम. स्टैनली विटिंघम तथा जापान के अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से दिया गया है। लीथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तीनों वैज्ञानिकों को चुना गया है। इनके कोशिश से लीथियम आयन बैटरी की

क्षमता दोगुनी हुई है। लीथियम आयन बैटरी अधिक उपयोगी होने से आज मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग हो रही है।

तीन वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल वैज्ञानिक के बारें में

- **जॉन बी. गुडइनफः** अमेरिकी प्रोफेसर हैं। वे वर्तमान में बिंगम्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जॉन बी. गुडइनफ यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज विजेता होंगे। वे 97 साल के हैं। उनसे पहले साल 2018 में 96 साल के आर्थर अश्किन को नोबेल पुरस्कार मिला था।
- **एम. स्टैनली विटिंघमः** एम. स्टैनली विटिंघम इंग्लैंड के रहने वाले है, वे 77 साल के हैं। उन्होंने सुपरकंडक्टर्स (Superconductors) पर शोध शुरू किया तथा एक उच्च ऊर्जा से भरपूर एलिमेंट (तत्व) की खोज की। उन्होंने इसका उपयोग लिथियम बैटरी में एक उच्च प्रौद्योगिकी (High Technology) कैथोड बनाने हेतु किया है।
- **अकीरा योशिनोः** अकीरा योशिनो जापान के रहने वाले हैं। वे 71 साल के हैं। इस कैथोड के आधार पर अकीरा योशिनो ने साल 1985 में व्यावसायिक रूप से पहली सक्षम लिथियम आयन बैटरी बनाई थी। ■

4. राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम

हाल ही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम (एसएलएनपी) के तहत अभी तक (1 अक्टूबर, 2019) 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। इस कार्यक्रम की शुरूआत 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट लगाना था। एसएलएनपी को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लागू किया जा रहा है, जो ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

उद्देश्य

- बिजली की खपत को कम करना तथा डिस्कॉम (डिस्ट्रीव्यूसेन कंपनी) को अत्यधिक मांग को प्रबंधित करने में मदद करना
- ऊर्जा कुशल एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन को कम करना।
- टिकाऊ सेवा मॉडल प्रदान करना जिससे एलईडी लाइट की खरीद के लिए भुगतान करने हेतु अपरेंट कैपिटल इंवेस्टमेंट के साथ-साथ अतिरिक्त राजस्व व्यय की व्यवस्था की जा सके।

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल)

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ईईएसएल की स्थापना की गई थी। यह एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) और पावरग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है। यह उन्नत ऊर्जा दक्षता (एनएमईईई) के लिए राष्ट्रीय मिशन के बाजार से संबंधित कार्यों की ओर अग्रसर है। यह राज्य डिस्काम कंपनियों की क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र (रिसोर्स सेंटर) के रूप में भी कार्य करता है। ■

5. डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी

डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी (Deep Carbon Observatory-DCO) के डीप अर्थ कार्बन डीगैसिंग (Deep Earth Carbon Degassing-DECADE) उपसमूह के शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि ज्वालामुखियों और ज्वालामुखीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से 280-360 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है।

डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी (DCO) के वैज्ञानिकों ने पाया कि केवल कुछ ज्वालामुखी घटनाओं से होने वाली कार्बन की विनाशकारी मात्रा का उत्सर्जन भी एक गर्म वातावरण, महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि और बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन सकता है। ज्वालामुखियों और ज्वालामुखीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष वृहद् मात्रा में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के उत्सर्जन में सक्रिय ज्वालामुखी, मिट्टी, फॉल्ट (Fault) और ज्वालामुखी क्षेत्रों में टूटन, ज्वालामुखी झीलों के साथ-साथ मध्य-महासागर रिज प्रणाली का योगदान शामिल होता है।

DECADE के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, पिछले 100 वर्षों के लिये जीवाश्म ईंधन और वनों के जलने जैसे मानवीय कारकों के कारण वार्षिक कार्बन उत्सर्जन भूगर्भीय स्रोतों जैसे कि सभी ज्वालामुखी उत्सर्जन आदि की तुलना में 40 से 100 गुना अधिक था। DECADE के अनुसार, 11,700 साल पहले के आखिरी हिमयुग से सक्रिय 1500 ज्वालामुखियों में से करीब 400 अब भी वृहद् मात्रा में CO_2 का उत्सर्जन कर रहे हैं।

DECADE ने यह भी पुष्टि की है कि 200 से अधिक ज्वालामुखी प्रणालियों ने 2005 और 2017 के बीच CO_2 के औसत दर्जे की मात्रा का उत्सर्जन किया है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश (Rift) और चीन में टेक्नॉन्ग ज्वालामुखीय प्रांत शामिल हैं। DCO के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, ज्वालामुखी प्रक्रिया एवं पर्वत बेल्टों में चूना पत्थर का उष्मण आदि अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी द्वारा CO_2 का कुल वार्षिक उत्सर्जन लगभग 300 से 400 मिलियन मीट्रिक टन (0.3 से 0.4 गीगाटन) है। ■

6. भारत को मिला पहला राफेल विमान

- हाल ही में केंद्रीय रक्षा ने 8 मेरिनियाख प्रांत (फ्रांस) में आधिकारिक तौर पर 36 राफेल कॉम्बैट विमानों में से पहले राफेल की डिलीवरी ली। भारत को फ्रांस ने पहला RB 001 राफेल विमान सौंप दिया है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल में उड़ान भरते ही इतिहास रचा दिया है। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक राफेल में उड़ान भरी। राजनाथ सिंह इसके साथ ही देश के पहले रक्षा मंत्री बन गये हैं जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। राजनाथ सिंह ने इससे पहले तेजस में भी उड़ान भरकर इतिहास रचा था। किसी रक्षा मंत्री ने पहली बार तेजस में उड़ान भरी थी।
- रक्षा मंत्री के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच 'रणनीतिक साझेदारी' को बढ़ावा देना है। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक को श्रद्धांजलि दी। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक का हाल ही में निधन हो गया था।
- भारत को फाइटर जेट राफेल की पहली खेप मई 2020 में मिलेगी क्योंकि इसे रखने और संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार किया जा रहा है।

राफेल के बारे में

- राफेल विमान का रडार सिस्टम एफ-16 से बहुत ज्यादा मजबूत है। एफ-16 विमान का रेडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट की पहचान करता है। वहीं राफेल विमान का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट चिह्नित कर लेता है। राफेल विमान करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकता है जबकि एफ-16 विमान की ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकता है।
- गौरतलब है कि भारत ने साल 2016 में 59,000 करोड़ रुपये में फ्रांस सरकार से 36 लड़ाकू विमान खरीदने की समझौता की थी। भारत में राफेल की पहली खेप मई 2020 में आने की संभावना है। राफेल विमान के लिए भारत के पायलटों और वायुसेना के अधिकारियों को फ्रांस में जरूरी ट्रेनिंग दी जायेगी। ■

7. भारत वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में 68वें स्थान पर

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने हाल ही में प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्थाओं वाली 2019 की सूची जारी कर दी है। भारत वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (वर्ल्ड कॉम्पटेटिवनेस इकोनॉमी इंडेक्स) में दस पायदान नीचे खिसककर 68वें स्थान पर आ गया है।
- भारत साल 2018 में रैंकिंग में 58वें स्थान पर था। सिंगापुर इस बार अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) के चलते अमेरिका को अपनी पहली रैंकिंग गंवानी पड़ी है। भारत इस साल ब्राजील के साथ ब्रिक्स देशों में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से रहा है।
- डब्ल्यूईएफ ने इंडेक्स जारी करते हुए कहा कि भारत अब भी आर्थिक स्थिरता के मामले में ऊंचे स्तर पर है और उसका आर्थिक सेक्टर बहुत ही गहराई पूर्ण है। ब्राजील को वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक में 71वें स्थान पर रखा गया है।
- समग्र रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में श्रीलंका 84वें स्थान पर, बांग्लादेश 105वें स्थान पर, नेपाल 108वें स्थान पर और पाकिस्तान 110वें स्थान पर है।
- इस सूची में चीन 28वें स्थान पर तथा वियतनाम 67वें स्थान पर हैं वहीं, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की सहित समान रूप से रखी गई अर्थव्यवस्थाओं की संख्या में पिछले एक साल में सुधार हुआ है।
- भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में 15वें स्थान पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने भारत को कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में 15वें स्थान पर रखा है। डब्ल्यूईएफ ने भारत को शेयरहोल्डर गवर्नेंस में दूसरे स्थान पर और मार्केट साइज में तीसरा स्थान दिया है। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी तीसरा स्थान मिला है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ग्रीन पटाखे

- केंद्रीय मंत्री डॉ० हर्षवर्द्धन ने शनिवार को कहा कि इस बार दीपावली से पहले बाजार में ऐसे पटाखे मिलेंगे, जो 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाएंगे। उन्होंने यह कदम इसलिये उठाया गया है कि लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं हों और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे। इन पटाखों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् (सीएसआईआर) के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।

ग्रीन हाउस के बारे में

- सामान्य पटाखों में perchlorates, Nitrites और chlorine काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा खतरनाक Barium भी कई पटाखों में मिलता हैं। perchlorate और barium हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक हैं।
- CSIR वाले ग्रीन पटाखों में nitrogen based nitrocellulose हैं, जो कम प्रदूषण करेगा।
- सामान्य पटाखों की तरह ही ग्रीन पटाखे भी दिखते, जलते, तथा आवाज करते हैं। फिर भी ये जलने पर सामान्य पटाखों से लगभग 50% कम प्रदूषण करते हैं।

खोज

- ग्रीन पटाखों की खोज औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (CSIR) की संस्था नीरी (NEERI) अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान ने की है।

  ग्रीन पटाखें तीन प्रकार के हैं -

  - **सेफ वाटर रिलीजर:** ये ग्रीन पटाखें जलने के साथ ही पानी पैदा करते हैं, जिससे सल्फर और नाइट्रोजन जैसी हानिकारक गैसें इन्हीं में घुल जाती हैं।
  - **स्टार क्रेकर:** सामान्य पटाखों से कम सल्फर व नाइट्रोजन पैदा करते हैं। इनमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है।
  - **अरोमा क्रेकर:** ऐसे पटाखे जो प्रदूषण कम करते हैं साथ ही खुशबू भी पैदा करते हैं।

2. 'प्रकाश' पोर्टल

- हाल ही में केन्द्रीय उर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह तथा कोयला, खान व संसदीय मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संयुक्त रूप से 'प्रकाश' (PRAKASH– Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony Portal) को लॉन्च किया।

'प्रकाश' पोर्टल

- इस पोर्टल का विकास एनटीपीसी द्वारा किया गया है। इस पोर्टल में सभी रिपोर्ट्स पीडीएफ तथा एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध है। इस पोर्टल में रिपोर्ट्स को ग्रॉफिकल रूप में भी दर्शाया जा सकता है। इस पोर्टल में दैनिक पॉवर प्लांट स्टेटस, प्लांट एक्सेप्शन रिपोर्ट, कोयला प्रेषण रिपोर्ट तथा पीरियाडिक पॉवर प्लांट स्टेटस जैसी रिपोर्ट्स उपलब्ध होंगी।
- यह पोर्टल बिजली संयंत्रों हेतु कोयला आपूर्ति शृंखला की मैपिंग के लिए बनाया गया है। प्रकाश पोर्टल खदान में कोयले के स्टॉक, कोयले की मात्रा तथा बिजली स्टेशन में कोयले की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी प्रदान करेगा।

कार्य

- इस पोर्टल को पॉवर प्लांट्स के लिए कोयला आपूर्ति शृंखला की मैपिंग के लिए तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के द्वारा खदान में कोयला स्टॉक, कोयले की मात्रा, तथा उर्जा स्टेशन में कोयले की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त होगी। इस पोर्टल से कोयले की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा थर्मल पॉवर प्लांट्स में इसका उत्तम उपयोग किया जा सकेगा।

- कोयले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थर्मल पावर बनाने में होती है। कोयला मंत्रालय का काम कोयला की सप्लाई का देख-रेख करना है। रेलवे का काम कोयले की ढुलाई की देख रेख करना है। ऊर्जा मंत्रालय का काम बिजली बनाने का है। कभी-कभी कोयले की कमी के कारण से पावर प्लांट में ऐसी समस्या आ जाती है कि कोयले का बहुत ही कम दिन का स्टॉक बचता है। इससे बिजली उत्पादन में कमी आती है। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रकाश पोर्टल को लॉन्च किया गया है।

3. कंज्यूमर ऐप

- केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कंज्यूमर ऐप (Consumer App) को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए ग्राहक किसी सेवा को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उनकी शिकायत की सुनवाई 90 दिनों के अंदर होगी।
- इसके अलावा सरकार ने कहा है कि ग्राहकों की साधारण शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर होगा। लोगों की सुविधा के लिए इस ऐप में अंग्रेजी और हिंदी भाषा का सपोर्ट मिलेगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एप की लॉचिंग पर कहा कि इस एप में ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी हासिल कर सकेंगे।

कंज्यूमर ऐप में मिलने वाली सेवाएँ

- ग्राहक इस एप में एयरलाइंस और बैंकिंग के साथ 42 क्षेत्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराने से पहले ऐप को डाउनलोड करके यूजर्स को एप में रजिस्टर करना होगा। ग्राहक इस ऐप के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं।
- ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जो भी शिकायत की जाएगी वो सीधे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचेगी। ऐप में आने वाली शिकायतों की निगरानी और उस पर कार्रवाई के लिए मंत्रालय में एक अलग सेल बना दिया गया है।
- शिकायत मिलते ही सेल की तरफ से उसे सम्बंधित सरकारी या प्राइवेट कंपनी के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। बड़ी बात ये है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निदान के लिए उठाए जा रहे कदमों पर नजर भी रख सकेगा।
- पहली बार शिकायतों के निपटारे के लिए एक समयसीमा तय की गई है। जिस कम्पनी या सरकारी एजेंसी के खिलाफ शिकायत होगी उसे उस शिकायत को 90 दिनों के अंदर निपटाने की अनिवार्यता होगी। हालांकि ऐप को विकसित करने से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी कम्पनियों के खिलाफ होने वाली शिकायतों को तो निपटना आसान होगा लेकिन प्राइवेट कम्पनियों पर ऐसा करने का दबाव बनाना आसान नहीं होगा।

4. युवा सहः प्रयोगशाला का शुभारंभ

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग (NITI Aayog) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भारत ने 5 अक्टूबर को युवा सह: प्रयोगशाला का शुभारंभ किया।
- युवा सह: लैब का उद्देश्य युवा भारत में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार में तेजी लाना है। यह पहल युवाओं को सतत विकास के महत्वपूर्ण चालकों के रूप में भी पहचानती है। इसका उद्देश्य युवा नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- यह पहल 2017 में UNDP और सिटी फाउंडेशन द्वारा सह-निर्मित की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में चालू है।
- युवा सह: लैब सरकारों, आकाओं, इन्क्यूबेटरों और निवेशकों से जुड़ने के लिए युवा उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को एक मंच प्रदान करेगा, जो उन्हें उद्यमी कौशल से लैस करने में मदद करेगा।
- युवा सह का पहला चरण: लैब छह एसडीजी पर केंद्रित होगा:
  - एसडीजी 5-लिंग समानता
  - एसडीजी 6-स्वच्छ जल और स्वच्छता
  - एसडीजी 7-सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
  - एसडीजी 8-निर्णय कार्य और आर्थिक विकास
  - एसडीजी 12-सतत उपभोग और उत्पादन
  - एसडीजी 13-क्लाइमेट एक्शन

5. ई-दंतसेवा वेबसाइट

- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने नई दिल्ली में ई-दंतसेवा वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च

किया। मुंह संबंधी स्वास्थ्य की जानकारी के लिए यह पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये ई-दंत सेवा 100 करोड़ लोगों तक पहुँचेगी। डॉ. हर्षवर्धन ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन पुस्तिका तथा वॉयस ओवर भी जारी किया।

- डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर ऐसे पहल की शुरूआत की गई है। ई-दंत सेवा पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये मुँह संबंधी स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है।
- दांतों का खराब स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास के सभी आयामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दांतों का खोखला होना और समय-समय पर दांत संबंधी बीमारियाँ भारत के लोगों की आम शिकायत है। दांतों की संक्रामक बीमारियों से गंभीर रोग हो सकते हैं। एम्स तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से मंत्रालय की यह पहल लोगों को मुंह संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाएगी।
- ई-दंत सेवा में राष्ट्रीय मुंह संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी दंत कॉलेजों और सुविधाओं की सूची, जानकारी व संचार संबंधी सामग्री तथा एक अनूठी विशेषता 'लक्षणों की जाँच' आदि शामिल हैं। इनमें दांतों की देखभाल, रोगों से बचाव, इलाज के तरीकों को भी शामिल किया गया है। उपयोगकर्ता नजदीकी दांतों के अस्पताल की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वेबसाइट में जीपीआरएस मार्गदर्शिका/तस्वीरों/सैटेलाइट तस्वीरों को भी शामिल किया गया है।
- दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक तरीका है। मुंह संबंधी स्वास्थ्य की ब्रेल पुस्तिकाएँ और वॉयस ओवर से उन्हें दांतों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी। कार्यक्रम में दो दृष्टिबाधित बच्चों ने ब्रेल पुस्तिका पढ़कर यह प्रदर्शित किया कि ये पुस्तिकाएँ उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है।
- राष्ट्रीय मुंह संबंधी स्वास्थ्य द कार्यक्रम की शुरूआत 2014 में हुई थी। दंत शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र (सीडीईआर), एम्स कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

6. बीएस-VI वाहन उत्सर्जन मानक एवं भारत

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयासों से दिल्ली -एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पर्यावरण की दृष्टि से अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा 'स्वच्छता' देखने को मिल रहा है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पराली जलाए जाने से दिल्ली में उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पाँच राज्यों की एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि पराली जलाए जाने को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने लगभग 1,150 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब और हरियाणा के किसानों को 20,000 से भी अधिक मशीनें मुहैया कराई है।
- वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार के नेतृत्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को लॉन्च किया गया था। आज 113 एक्यू आई निगरानी केंद्र दिल्ली -एनसीआर में कार्यरत हैं। 29 और एक्यूएआई निगरानी केंद्र जल्द ही स्थापित किए जाएंगे।' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2019 में 30 सितम्बर तक कुल 273 दिनों में से 165 दिन 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'सामान्य' रहे हैं, जबकि वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 104 दिनों का था।
- पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत स्टेज VI (बीएस VI) ईंधनों में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
- उन्होंने कहा कि वायु में मौजूद द्रव्यी एवं ठोस सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन में 80 प्रतिशत की कमी के साथ-साथ बीएस III मानकों की तुलना में बीएस IV भारी डीजल वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी 30 प्रतिशत की कमी आई है। बीएस VI ईंधनों को अपनाने पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। भारत अप्रैल 2020 से बीएस IV मानकों के बजाय बीएस VI वाहन उत्सर्जन मानकों को अपनाने लगेगा। बीएस VI मानकों वाला पेट्रोल/डीजल पहले से ही दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध है।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 17,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किये गये ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बदौलत ऐसे 40,000 माल वाहनों का मार्ग अब राष्ट्रीय राजधानी से परे कर दिया गया है, जिनके रूट पर दिल्ली नहीं पड़ती है। इसका अत्यंत सकारात्मक असर प्रदूषण पर पड़ा है।
- ई-मोबिलिटी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के नेटवर्क से जुड़ी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि 274 स्टेशनों वाली 377 किलोमीटर लम्बी मेट्रो लाइनें हर दिन 30 लाख से भी अधिक यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं

प्रदान कर रही है। उन्होंने इसे पूरी दुनिया में सार्वजनिक परिवहन की सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक बताया, क्योंकि इसकी बदौलत सड़कों पर 4 लाख से भी ज्यायदा वाहनों की आवाजाही रोकने में कामयाबी मिली है, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई है।

7. भारत-मंगोलिया संयुक्त अभ्यास

- भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 14वां संस्कजरण नोमेडिक एलीफैंट-XIV को आरंभ किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास बकलोह में 05 से 18 अक्टूलबर, 2019 तक चलेगा। मंगोलिया की सेना का प्रतिनिधित्व 084 एयर बोर्न स्पेशल टास्क बटालियन के अधिकारी एवं सैनिक कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स रेजीमेंट की एक बटालियन कर रही है।
- नोमेडिक एलीफैंट-XIV संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत सैनिकों को विद्रोह और आतंकवाद से निपटने की कार्रवाइयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्धेश्यों से दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों में वृद्धि होगी। यह दोनों देशों की सेनाओं के लिए अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान पारस्परिक अनुभवों से लाभ प्राप्त करने का एक आदर्श मंच है।
- इस संयुक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से निपटने से संबंधित कार्रवाइयों के दौरान एकजुट होकर कॉन्वॉय प्रोटेक्शन ड्रिल, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स, एम्बुश/काउंटर एम्बुश ड्रिल्स जैसे विभिन्न सामरिक कौशलों को विकसित करना है। संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी वाली एक सब यूनिट द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्रवाइयों के संचालन पर बल दिया जाएगा, इस प्रकार दोनों देशों के बीच पारस्परिकता में वृद्धि होगी। दोनों सेनाओं द्वारा नियोजित प्रशिक्षण, उनमें संयुक्त कार्रवाइयां की क्षमता का निर्माण करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इस अभ्यास के तहत, विद्रोह से निपटने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। दोनों सेनाएं ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने से संबंधित अपने बहुमूल्य अनुभवों और साथ ही संयुक्त कार्रवाइयों के लिए बेहतर अभ्यास और प्रक्रियाओं को भी साझा करेंगी।
- इस अभ्यास का समापन 72 घंटे के सत्यापन चरण के साथ होगा जो आतंकवाद निरोधी परिदृश्य में संयुक्त कार्रवाई करने के सैनिकों के कौशल का परीक्षण करेगा।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. बड़े राज्य: समग्र प्रदर्शन और रैंक, 2015-16 एवं 2016-17

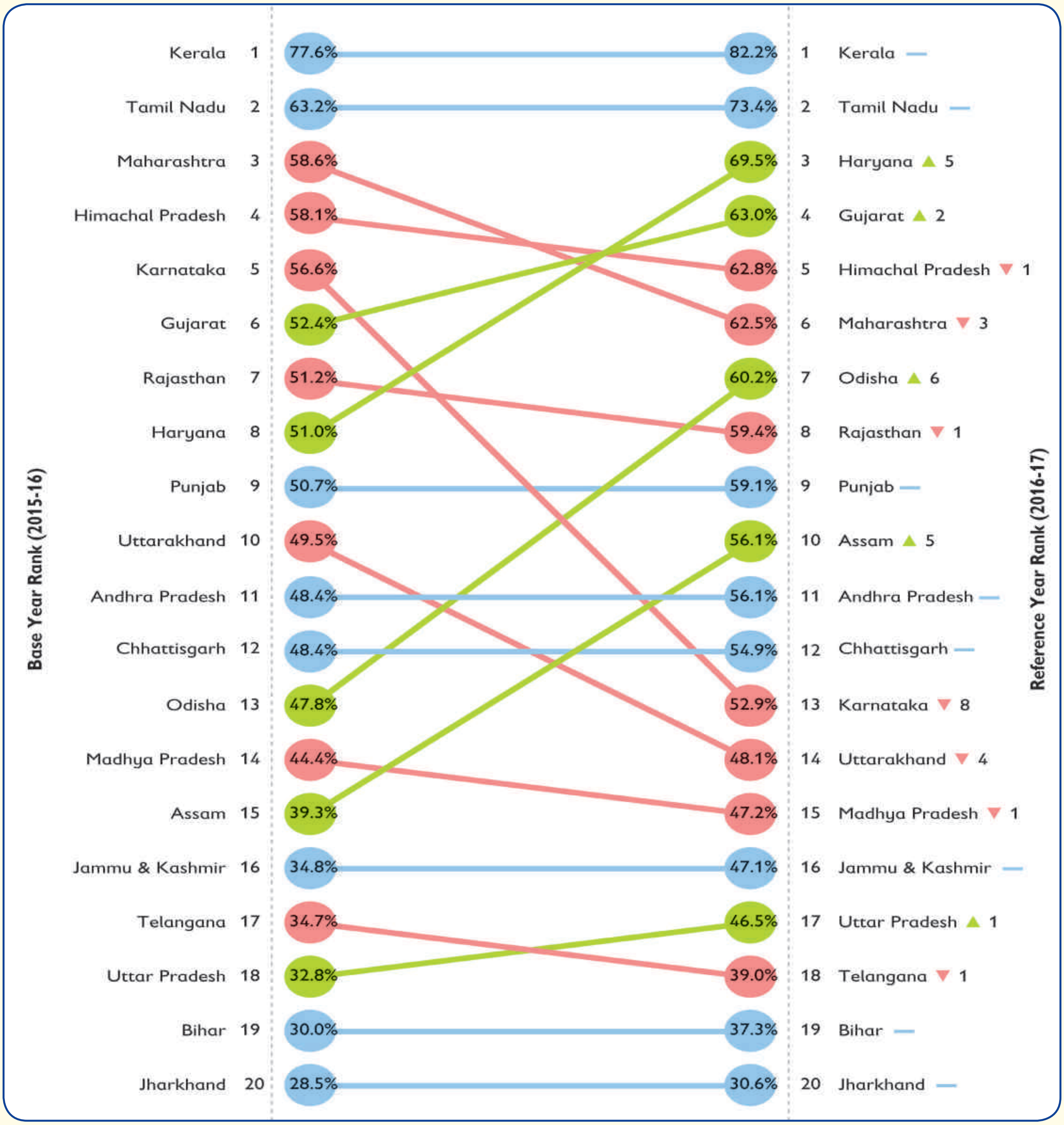

2. छोटे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशः समग्र प्रदर्शन और रैंक, 2015-16 एवं 2016-17

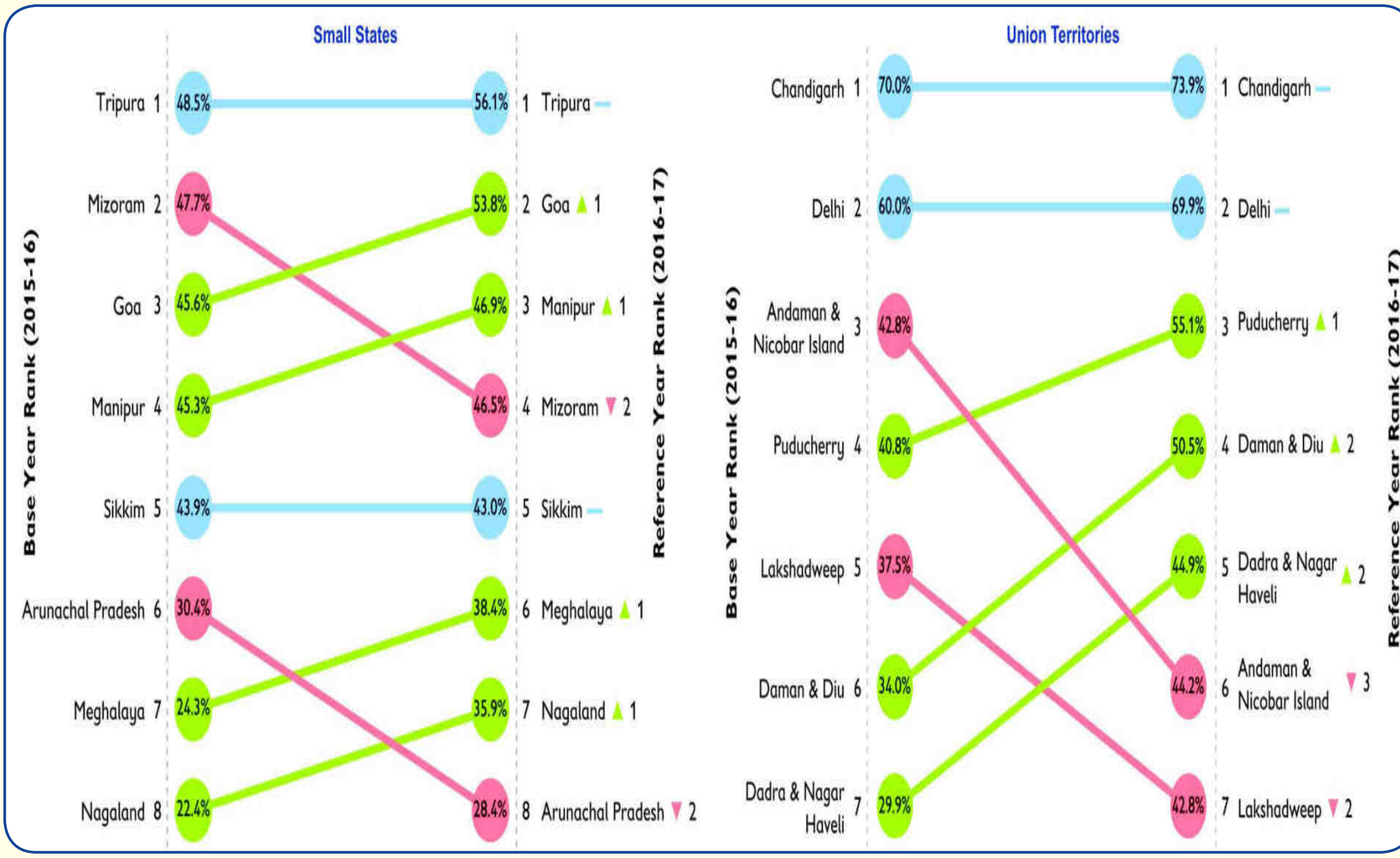

3. बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश : समग्र एवं श्रेणीवार प्रदर्शन, 2016-17

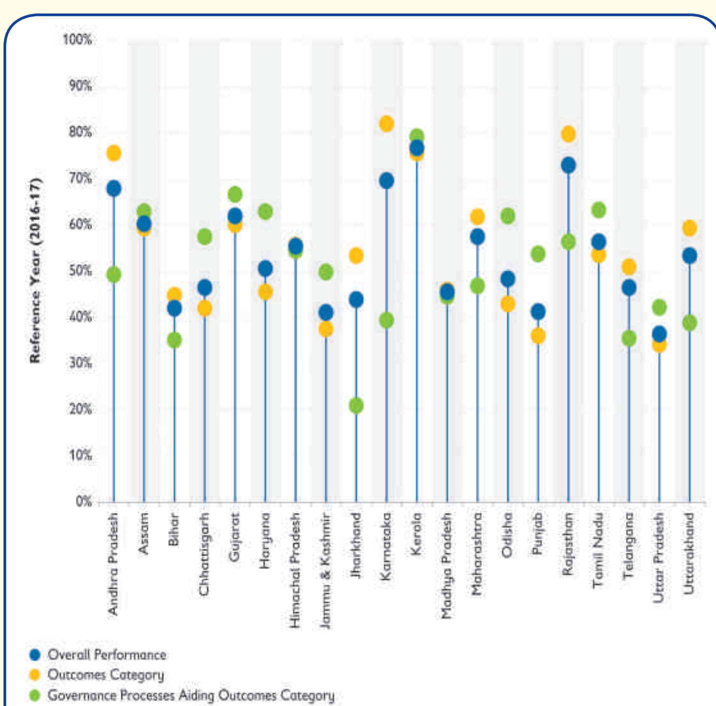

Note: The Outcomes Category score for Himachal Pradesh is 55.6 percent and Madhya Pradesh is 46.0 percent.

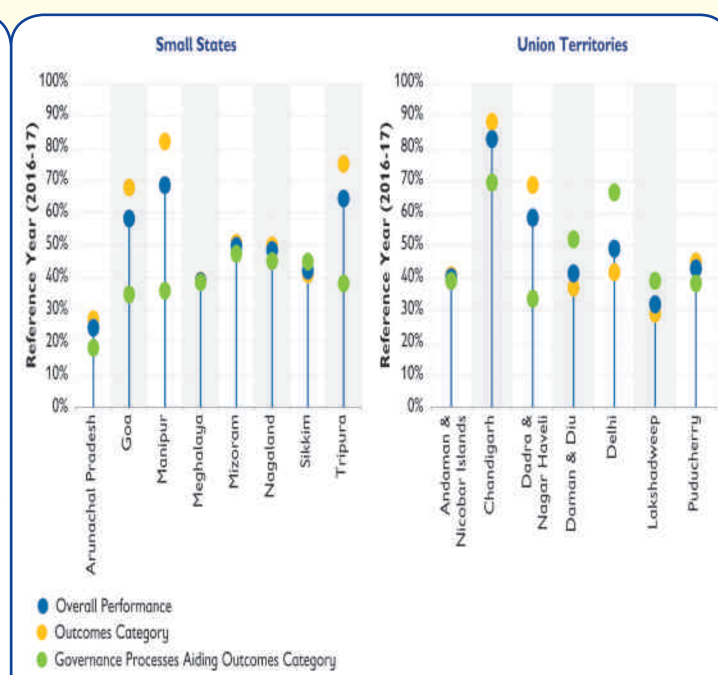

Note: The Outcomes Category score for Andaman & Nicobar Islands is 40.8 percent, Meghalaya is 39.2 percent and Mizoram is 50.8 percent.

4. बड़े राज्य : 'ऑउटकम्स कटेगरी' और 'डोमेन-स्पेशिफिक' प्रदर्शन, 2016-17

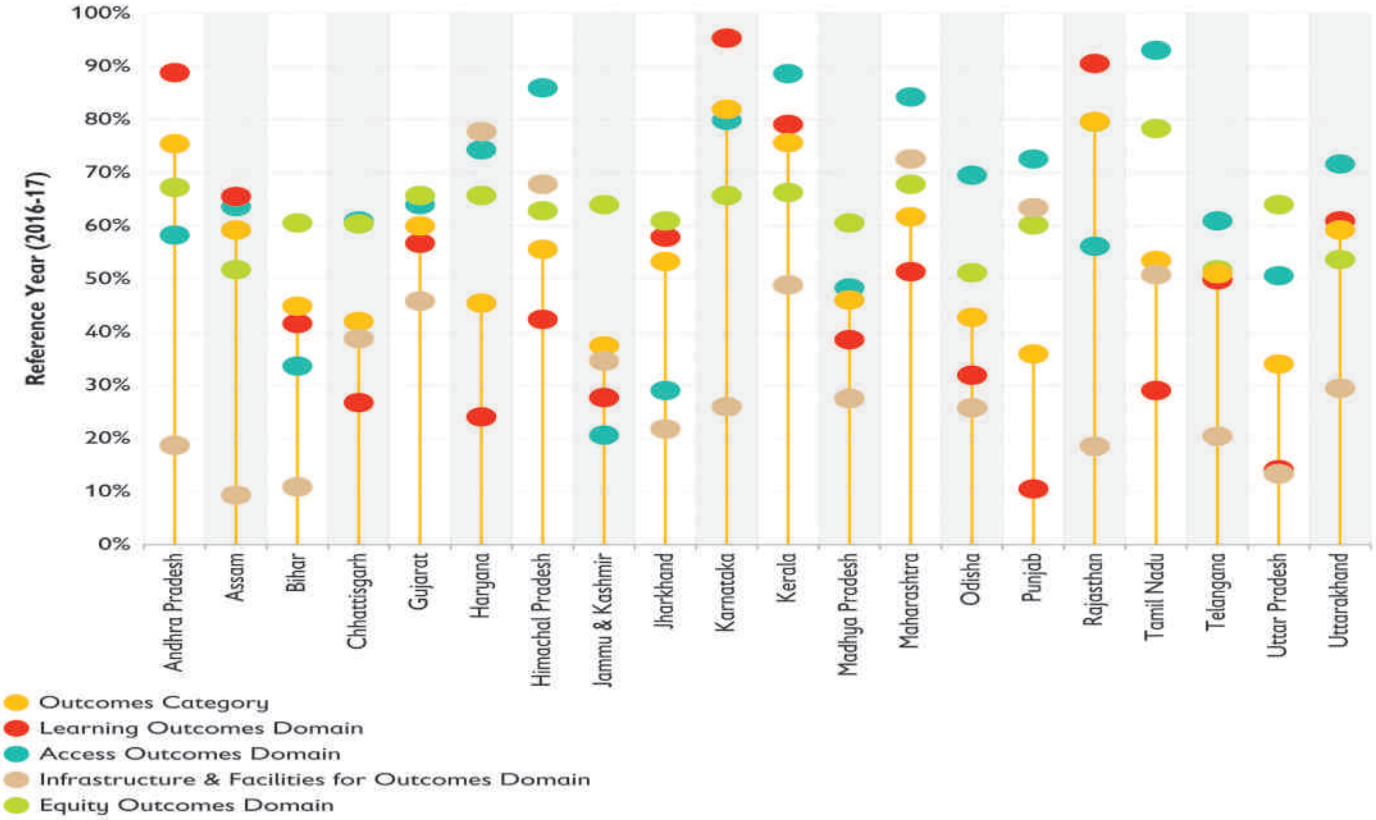

Note: The Equity Outcomes Domain score for Rajasthan is 79.4 percent.

5. छोटे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश : 'ऑउटकम्स कटेगरी' और 'डोमेन-स्पेशिफिक' प्रदर्शन, 2016-17

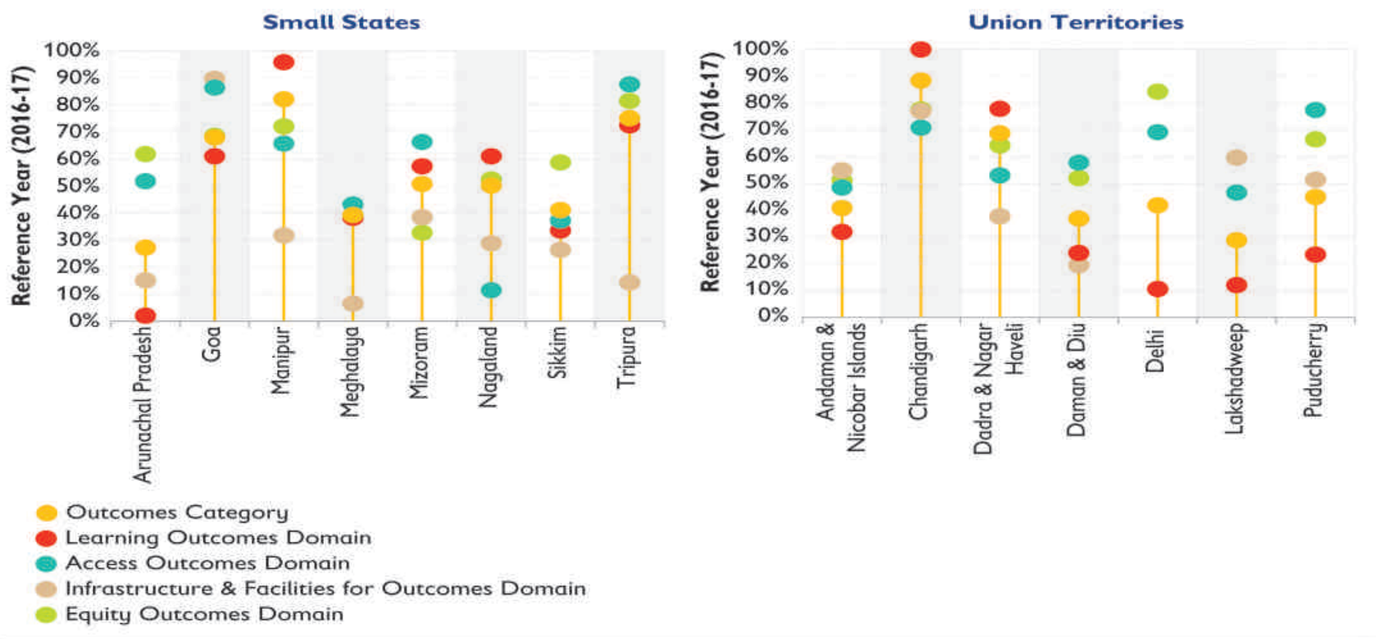

Note: The Equity Outcomes Domain score for Chandigarh is 77.6, Goa is 68.5, Lakshadweep is 46.5 and Meghalaya is 43.1. The Infrastructure & Facilities for Outcomes Domain score for Delhi is 41.9.

6. बड़े राज्य : 'गवर्नेंस प्रोसेश एडिंग ऑउटकम्स कटेगरी' के प्रदर्शन में बदलाव

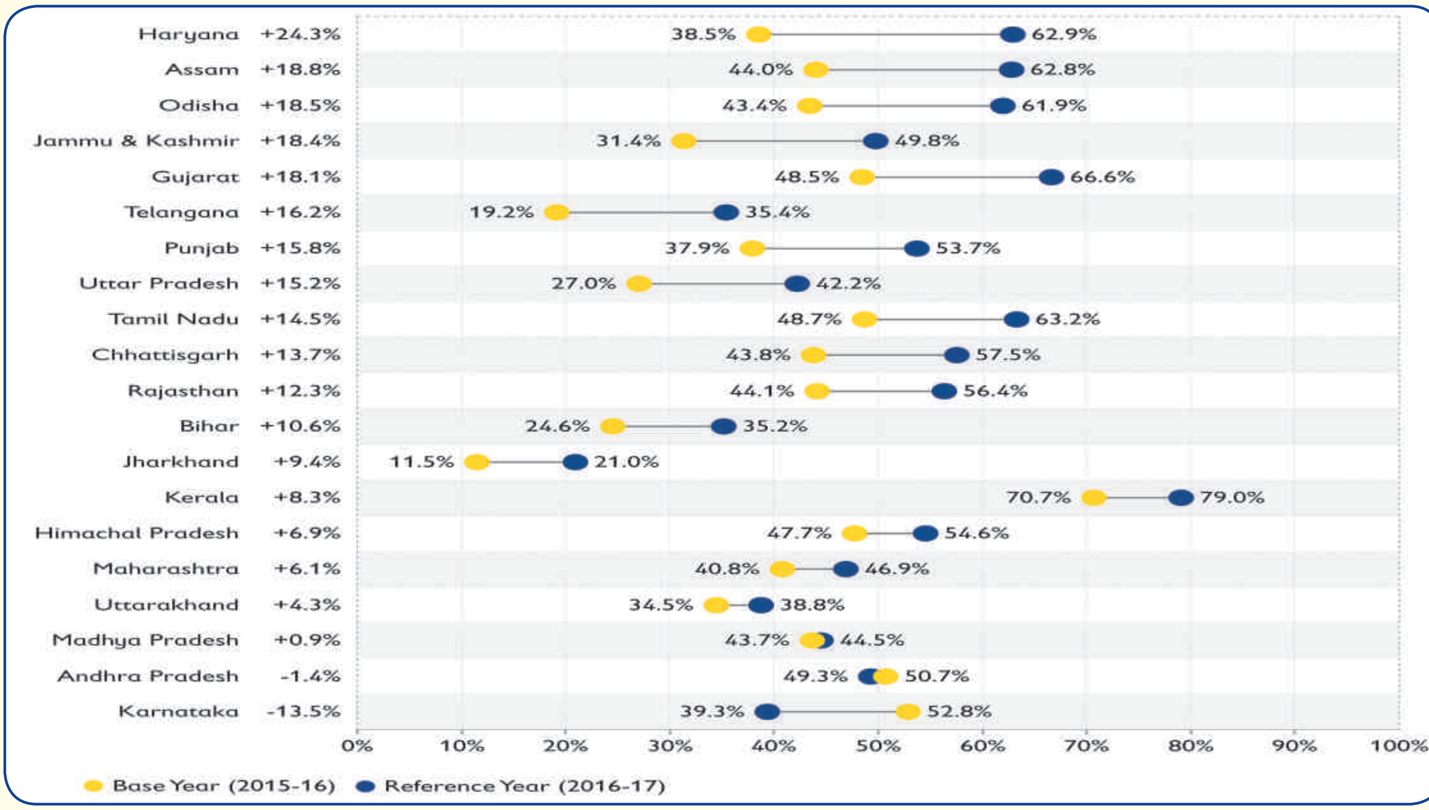

7. छोटे राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश : 'गवर्नेंस प्रोसेश एडिंग ऑउटकम्स कटेगरी' के प्रदर्शन में बदलाव

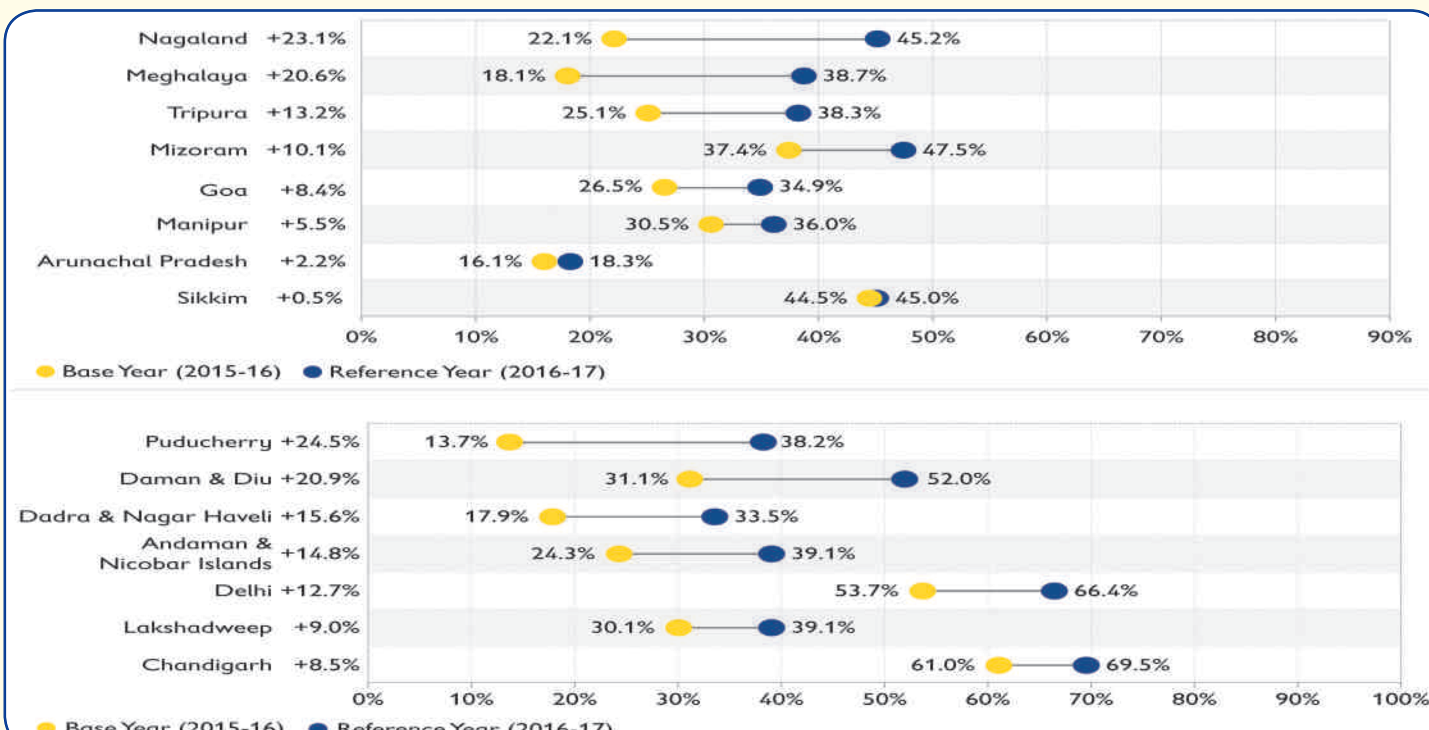

नोट : उपर्युक्त सातों चित्रों के विस्तृत अध्ययन के लिए इस अंक के ब्रेन बूस्टर (स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019) का अध्ययन करें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूज़लेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

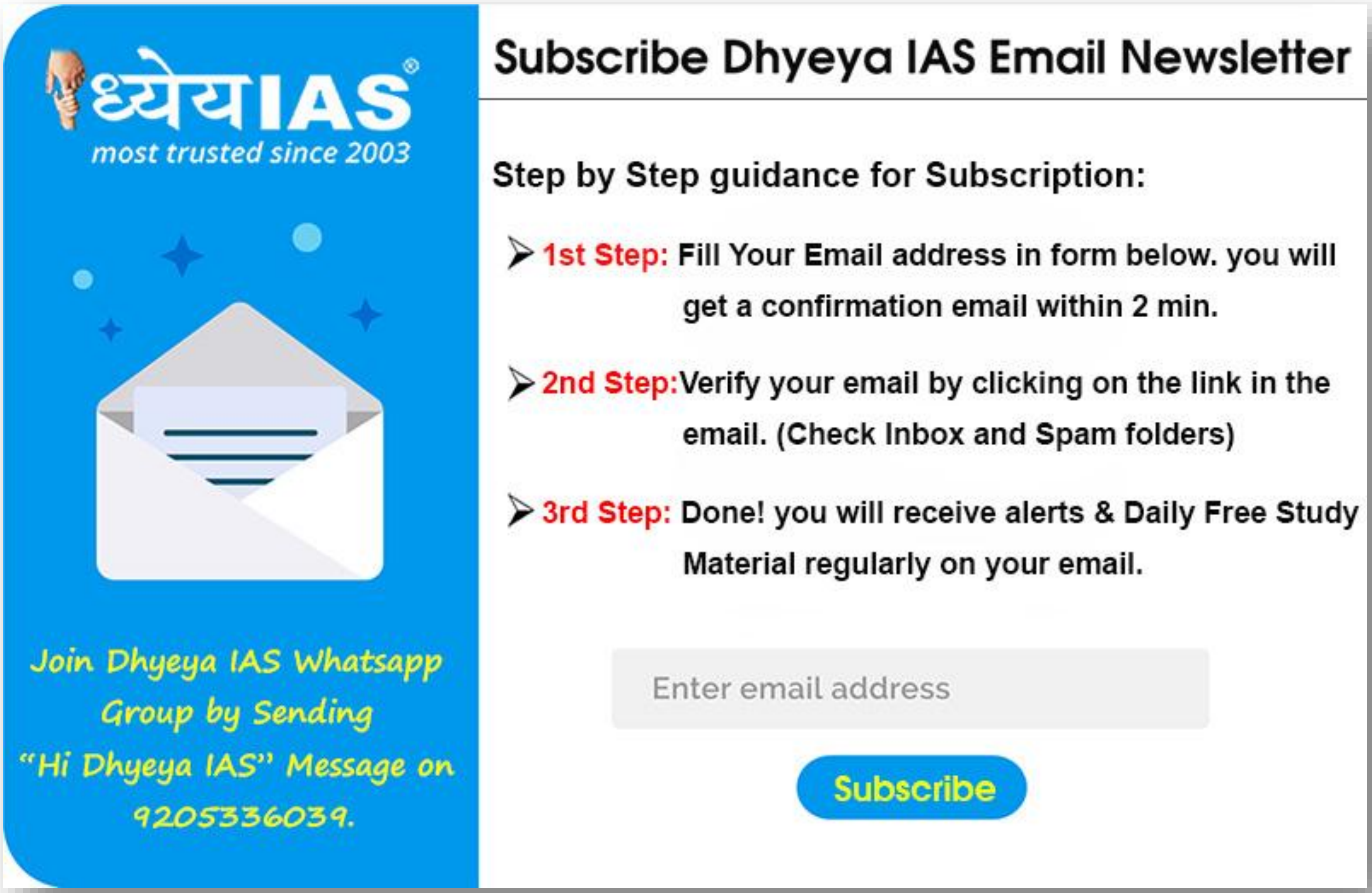

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400